हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

21 नवम्बर, 1996

खंड 2, अंक 4

अधिकृत विवरण

विषय सूची

वीरवार, 21 नवम्बर, 1996

	पृष्ठ सं०
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(4)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(4)16
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(4)23
गैर-सरकारी कार्य दिवस को सरकारी कार्य दिवस में परिवर्तित करने संबंधी मामला उठाना	(4)27
बिल्ज-	
(i) दि पंजाब एक्साइज (हरियाणा अमैंडमैन्ट) बिल, 1996	(4)30
नियम 104 का निलम्बन तथा सदन की सेवा से सदस्य का निलम्बन	(4)34
बैठक का स्थगन	(4)35
श्री ओम प्रकाश चौटाला के निलम्बन संबंधी मामले पर चर्चा	(4)41
दि पंजाब एक्साइज (हरियाणा अमैंडमैन्ट) बिल, 1996 (पुनरारम्भ)	(4)44
नियम 104 का निलम्बन तथा सदन की सेवा से सदस्यों का निलम्बन	(4)46

मूल्य :

93

वाक आउट (4)47

दि पंजाब एक्साइज (हरियाणा अमैंडमैन्ट) बिल, 1996 (पुनरारम्भ) (4)47

नियम 104 का निलम्बन तथा सदन की सेवा से सदस्यों का निलम्बन (4)48

बिल्ज-(पुनरारम्भ)

(ii) दि रजिस्ट्रेशन (हरियाणा अमैंडमैन्ट) बिल, 1996 (4)49

बैठक का समय बढ़ाना (4)52

(iii) दि हरियाणा डिवैल्पमैन्ट एंड रैगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज (अमैंडमैन्ट) बिल, 1996 (4)52

(iv) दि पंजाब शिड्यूल्ड रोडज़ एंड कंट्रोल्ड एरिया रिस्ट्रिक्शन ऑफ अनरैगुलेटिड डिवैल्पमैन्ट (हरियाणा सैकिंड अमैंडमैन्ट एंड वैलिडेशन) बिल, 1996 (4)54

(v) दि हरियाणा जनरल सेल्ज़ टैक्स (सैकिन्ड अमैंडमैन्ट) बिल, 1996 (4)56

सरकारी संकल्प-

(i) सहकारी समितियों को पैट्रोल पम्प तथा गैस एजैंसियों के वितरण संबंधी (4)58

(ii) पूर्ण नशाबन्दी को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार से विशेष अनुदान सहायता संबंधी (4)60

Haryana Vidhan Sabha Secretariat * Chandigarh * LIBRARY

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 21 नवम्बर, 1996

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (प्रो० छतर सिंह चौहान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, the questions hour.

Construction of Sabzi Mandi at Bahadurgarh

***55. Shri Nafe Singh Rathee :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state the time by which the construction work of the Sabzi Mandi at Bahadurgarh is likely to be completed ?

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : सब्जी मंडी बहादुरगढ़ का प्रथम चरण का निर्माण कार्य दिनांक 30-6-97 तक पूरा हो जायेगा। शेष निर्माण कार्य नई मंडी में व्यवसाय का स्थानान्तरण होने के पश्चात् शुरू किया जायेगा।

श्री नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मंडी का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद कब तक आढ़तियों को वहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस मंडी में दुकानों तथा स्टालों की जो आबंटन/अलॉटमैंट होगी, उसके नार्मज़ क्या हैं ? क्या अलॉटमैंट ड्रा ऑफ लॉट्स के द्वारा होगी या नीलामी के द्वारा होगी ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक बहादुरगढ़ की मंडी बनने की बात है, इसमें पिछली सरकार ने काफी लापरवाही की है। मैं मानता हूं कि इसका निर्माण काफी समय पहले हो जाना चाहिए था। हमारी सरकार बनने के बाद राज्य की सभी सब्जी मंडियों को आधुनिक बनाने का भी निर्णय हमारी सरकार के विचाराधीन है। जहां तक इन्होंने यह जानना चाहा है कि किस तरह से प्लाट्स अलॉट किये जाएंगे तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि यह काफी विवादग्रस्त मामला रहा है। अध्यक्ष महोदय, राज्य में सब्जी मंडियों और अनाज मंडियों के प्लॉट्स अलॉट करने की नीति समय-समय पर बदलती रही है और उस पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से स्थगन आदेश भी होते रहे हैं। हमारी सरकार इस पर विचार कर रही है कि कौन सी नीति अपनाई जाए जिससे कि कोई विवाद न हो और लोगों को भी कोई दिक्कत न हो। इन्होंने यह जानना चाहा है कि मंडी कब तक बना दी जाएगी तो इस बारे में तारीख मैंने बता दी है।

श्री जसविन्द्र सिंह संधु : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि पेहवा की सब्जी मंडी बनाने की घोषणा चौधरी देवी लाल जी के समय हुई थी। तब की सरकार से लेकर कांग्रेस सरकार के कृषि मंत्री श्री हरपाल सिंह जी से भी बात की थी और उन्होंने जल्दी बनवाने का वायदा भी

[श्री जसविन्द्र सिंह संधु]

किया था। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इस मंडी के निर्माण का कार्य अब किस पोज़ीशन पर है और वहां पर कब तक मंडी बना देंगे ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : यह सप्लीमैंटरी इस सवाल से सम्बन्ध नहीं रखती है।

श्री जसविन्द्र सिंह संधु : मन्त्री जी जवाब देने के लिए खड़े हैं, कृपया उन्हें जवाब देने के लिए कहें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने पेहवा की सब्जी मंडी के लिए अलग से सवाल दिया हुआ है और वह सवाल कल आना भी है इस लिए मैं कल उसका जवाब दे दूंगा।

श्री नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का पूरा जवाब नहीं आया है। मेरा सवाल यह है कि मंडी का निर्माण होने के बाद आढ़तियों को कब तक शिफ्ट किया जाएगा और अलॉटमैंट का नॉर्म क्या होगा ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैंने माननीय सदस्य को पहले भी बताया है कि अलॉटमैंट के लिए फिलहाल नीति सरकार के विचाराधीन है। अलॉटमैंट के मामले को लेकर पहले भी काफी मुकद्दमेबाजी होती रही है और इस मुकद्दमेबाजी का कारण मंडियों के निर्माण कार्य में राज्य में पहले भी काफी रुकावट आई है। अब हमारी राज्य सरकार जल्दी ही ऐसी नीति निर्धारित करने जा रही है जिससे न तो राज्य के लोगों को कोई दिक्कत हो और न ही राज्य सरकार को कोई दिक्कत हो। जहां तक मंडी शिफ्ट करने की बात का सम्बन्ध है, तो मैं इस बारे में माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जैसे ही मंडी का निर्माण कार्य पूरा होगा, मंडी को तुरन्त वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा।

श्री अनिल विज़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार के वक्त चौधरी भजन लाल द्वारा अम्बाला छावनी में मार्किटिंग बोर्ड द्वारा जमीन एक्वायर किए बिना ही मंडी बनाने के लिए नींव पत्थर रखा गया था। क्या अब मंत्री जी उनकी नादानी को ध्यान में न रखते हुए वहां पर अनाज मंडी बनाने का विचार रखते हैं ? अगर वहां पर मंडी बनाई जानी है, तो कब तक बनाने का विचार रखते हैं ? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इसके अलावा भजन लाल जी ने और कितने ऐसे नींव पत्थर हरियाणा स्टेट में लगाएं हैं ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, भजन लाल जी द्वारा लगाए पत्थरों का जिक्र अनिल विज़ जी ने किया है। मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि अगर उन पत्थरों का हिसाब लगाया जाए तो यह सरकार नीलाम हो जाएगी लेकिन पत्थरों की गिनती नहीं हो पाएगी। इन्होंने जो अम्बाला छावनी में मंडी के बारे जानना चाहा है तो मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि वहां पर जमीन मंडी के नाम पर ट्रांस्फर नहीं हुई है, जैसे ही हो जाएगी हम इसको बनाने पर विचार करेंगे और बहुत ही जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि आज कुछ मंडियों में शैड्ज़ बन चुके हैं और उनके बनने के बावजूद भी उनकी ऑक्शन नहीं हो रही है, क्या इस बारे में ये हिदायत देंगे कि उनकी जल्दी से जल्दी से ऑक्शन हो ? अगर ऐसा करेंगे तो इससे सरकार को भी मुनाफा होगा और वहां पर काम भी शुरू हो जाएगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने नफे सिंह जी को भी बताया था और इनको भी बता देता हूं कि हमारी सरकार द्वारा जल्दी ही जब कोई ऐसी नीति निर्धारित कर दी जाएगी तो हम

शैड्ज को भी ऑक्शन कर देंगे। पिछली सरकार के वक्त आबंटन की नीति ठीक नहीं थी जिस वजह से लोगों को कोर्ट में जाना पड़ा। हम विशेष तौर पर ऐसी नीति बनाएंगे जिससे कोई भी प्रोब्लम न हो। हम लाईसेंसिज़ के आधार पर आबंटन करने का विचार कर रहे हैं और जल्दी ही करेंगे।

श्री कंवल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि हिसार जिले के बरवाला में मंडी है, उसको चालू करने में क्या कठिनाई है ? वहां पर प्लाट बांटने में क्या कठिनाई है ? बरवाला की मंडी काफी पुरानी हो गई है और वहां पर ज्यादा सामान आने की वजह से काफी तंगी हो जाती है। क्या ये वहां पर नई मंडी बनाने का विचार करेंगे ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो बरवाला मंडी के बारे में कहा है वह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट का जैसा निर्णय आएगा हम उस हिसाब से वहां पर काम करवा देंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हरियाणा में जहां-जहां पर भी मंडियों की जरूरत है, वहां पर मंडी बनाने का विचार यह सरकार कर रही है और वहां-वहां पर मंडी तथा सब्जी मंडी बनाने की कोशिश करेंगे।

Setting up of Bus Depot in District Mohindergarh

***65. Rao Narender Singh :** Will the Minister for Transport be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a new Bus depot at Mohindergarh ?

परिवहन मंत्री (श्री नारायण सिंह) : जी नहीं।

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय, से पूछना चाहूंगा कि किसी भी जगह पर बस स्टैंड बनाने का क्राईटेरिया क्या है ? इसके अलावा पिछले अधिवेशन में 24 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोडवेज के अंदर एक रिफ्रैशर कोर्स चलाने की बात भी कही थी, क्या यह कोर्स शुरू हो चुका है और अगर नहीं, तो यह कब तक शुरू कर दिए जाने की संभावना है ?

श्री नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, चूंकि महेन्द्रगढ़ जिला हैडक्वार्टर नहीं है, और न ही वहां इतना ज्यादा ट्रैफिक है इसी लिए वहां डिपो खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वहां डिपो खोलने के लिए हमें जमीन लेनी पड़ेगी तथा मशीनरी भी लगानी पड़ेगी। लेकिन नारनौल डिपो बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि नारनौल में जिला हैड क्वार्टर है और वहीं पर जिले के सब अधिकारी बैठते हैं। इसके अलावा इन्होंने मेरे रिफ्रैशर कोर्स वाले प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया है, वह भी बता दें।

विकास तथा पंचायत मंत्री (श्री जगन्नाथ) : अध्यक्ष महोदय, रिवाड़ी फुल-फलैजड् डिपो है और नारनौल के अंदर सब-डिपो है जबकि महेन्द्रगढ़ के अंदर सब-डिपो बनाने की मांग की गयी है। जहां तक महेन्द्रगढ़ में डिपो बनाने की बात है इसकी मांग पहले भी होती रही है और इसको ऐग्जामिन भी किया गया है लेकिन यह कमर्शियल प्वायंट ऑफ-व्यू से ठीक नहीं पाया गया है क्योंकि वहां पर बहुत ही कम बसिज़ रुकती हैं। वहां पर रिवाड़ी या जयपुर से आने जाने वाली बसिज़ बहुत कम आती हैं इसलिए महेन्द्रगढ़ सब-डिपो के हिसाब से ठीक नहीं है और नारनौल डिपो के हिसाब से ठीक नहीं है। परन्तु अध्यक्ष महोदय, डी०सी० नारनौल ने इस बारे में केस रिकमैंड करके भेजा है कि नारनौल के अंदर डिपो

और महेन्द्रगढ़ के अंदर बसों का सब-डिपो बना दिए जाएं लेकिन अब सरकार कुछ ही समय के बाद प्राइवेट तौर पर कोआपरेटिव तौर पर बसिज के रूट परमिटस देने जा रही है, इसलिए ऐसा करने के बाद बस स्टैंड पर और भी प्रैशर कम हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो महेन्द्रगढ़ सब-डिपो के लिए योग्य जगह नहीं है और न ही नारनौल डिपो के लिए योग्य जगह है क्योंकि रिबाड़ी डिपो से ही यह आपरेट होते हैं और वहीं पर डिपो रहना भी चाहिए। लेकिन समय के साथ वहां पर सब-डिपो बनाने के बारे में बाद में देखा भी जा सकता है। जहां तक इनके बनाने के लिए क्राईटेरिया की बात सदस्य ने पूछी है, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि इसका कोई फिक्सड क्राईटेरिया नहीं है लेकिन अगर ये पूछना ही चाहते हैं तो मैं इनको डिटेल में बता देता हूं। (विघ्न) मैंने यह कहा है कि कोई फिक्सड क्राईटेरिया नहीं है लेकिन समय के साथ इसको कंसीडर किया भी जा सकता है।

Desilting of Butana Drain

***78. Shri Ramesh Kumar :** Will the Chief Minister be pleased to state whether the Chhapra drain and Butana distributory have been desilted during the year 1995-96; if not, the reasons thereof togetherwith the time by which the said drain/distributory are likely to be desilted ?

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : No work of desilting in Chhapra drain was done in the financial year 1995-96. The work of desilting of Chhapra drain from RD 19125-25000 and RD 37000-40000 has been completed before onset of Monsoon, 1996. The remaining work of desilting of critical reaches shall be carried out before onset of Monsoon, 1997.

The Butana distributory was desilted during the year 1995-96.

श्री रमेश कुमार : स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी ने अपने जवाब में दर्शाया है कि वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान छपरा ड्रेन से गाद निकालने का कोई कार्य नहीं किया गया। छपरा ड्रेन की बुर्जी नं० 19125-25000 व बुर्जी नं० 37000-40000 तक की गाद निकालने का कार्य वर्ष 1996 की मानसून से पहले ही कराया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछें।

श्री रमेश कुमार : सर, मैं वही तो कर रहा हूं। सवाल के जवाब में दर्शाया गया है कि इन ड्रेन की गाद निकाली गयी है जबकि मैं कहता हूं कि यह काम केवल कागजों में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी आपने जो वायदा किया था कि जितनी भी हरियाणा की ड्रेनज हैं, उन सबकी सफाई की जाएगी, सब की गाद निकाली जाएगी क्या उसे पूरा करेंगे ? आप वहां जाकर स्वंय देख लें। अगर वहां पर एक कस्सी भी लगी हो तो आप बता दें। जो छपरा ड्रेन और बुटाना डिस्ट्रीब्यूटरी है, उसको आप स्वंय जाकर देख लें।

श्री अध्यक्ष : आप क्वैश्चन पूछिए। स्पीच न दीजिए।

श्री रमेश कुमार : सर, मैं क्वैश्चन पर ही आ रहा हूं। यह कहा गया है कि सफाई हुई है जबकि

आज तक किसी भी ड्रेन की, चाहे वह छपरा ड्रेन हो या बुटाना डिस्ट्रीब्यूटरी हो, सफाई नहीं हुई है और इससे किसानों को बहुत नुक्सान हुआ है। क्या मुख्यमंत्री जी आश्वाशन देंगे कि इन ड्रेनों की सफाई कराएंगे यदि हां तो कब तक करा देंगे।

Shri Bansi Lal : He has made a wrong statement and he is misleading the House. The Butana distributory was desilted in the year 1995-96 at a cost of Rs. 1.82 lakhs and the length of Chhapra drain which I have told, was cleaned in the year 1996-97 at a cost of Rs. 4.16 lakhs. The remaining portion will also be desilted before the on-set of next monsoon.

*48. **Shri Sat Narain Lather** : Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether it is a fact that land for setting up of an Industrial Growth Sub-Centre at Julana was acquired during the year 1990-91; and

(b) whether it is also a fact that Industrial Growth Sub-Centre as referred to in part (a) above, was later on shifted to Kalka in Distt. Panchkula; if so, the reasons thereof ?

वित्त मंत्री (सेठ सिरी किशन दास) :

(क) नहीं।

(ख) प्रारम्भ में जुलाना में एक विकास केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव था जो बाद में साहा, जिला अम्बाला में स्थानान्तरित कर दिया गया न कि कालका, जिला पंचकूला में।

श्री सत नारायण लाठर : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1990-91 में हमारे केन्द्र की तत्कालीन सरकार ने बावल और जुलाना में दो इंडस्ट्रियल ग्रोथ सैन्टर की स्थापना की थी, जिनमें से बावल का काम तो शुरू हो चुका है लेकिन जुलाना के सब-सैन्टर को क्या तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल अपने बेटे को चुनाव जितबाने के लिए अम्बाला में ले आए थे ? मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि इसको दोबारा जुलाना में ही स्थापित किया जाए ? (व्यवधान व शोर)

सेठ सिरी किशन दास : स्पीकर सर, यह सैन्टर पहली सरकार ने बदला था । यह सैंटर सैन्ट्रल गवर्नमैंट की अनुमति से बदला गया था और उन्होंने ही जगह दी थी। आईंदा और कोई आएगा तो देख लेंगे।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ सैन्टर हरियाणा में स्थापित करने का मामला काफी समय से लंबित पड़ा है। जैसा कि अभी बताया गया कि दो ग्रोथ सैन्टर्ज हरियाणा में लगाए जाने थे केन्द्र सरकार ने उसके लिए एड देनी थी और उसमें से बावल का काम तो शुरू हो चुका है लेकिन जो अम्बाला जिले में साहा में लगाया जाना है, उसके बाबत मैं वित्त मंत्री महोदय, से जानना चाहता हूं कि उसकी अब तक क्या प्रक्रिया हुई है और कब तक वहां काम आरम्भ कर दिया जाएगा ? (विघ्न)

सेठ सिरी किशन दास : अध्यक्ष महोदय, वहां दफा-4 का नोटिस हो चुका है। वह सारा काम जब पूरा हो जाएगा, तो वहां पर काम शुरू कर दिया जाएगा।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये जो इंडस्ट्रीयल ग्रोथ सब-सैन्टर्ज़ भारत सरकार ने स्टेट गवर्नमैंट की रिकमैंडेशन पर मंजूर किए थे, वह इसलिए किए थे कि लिब्रलाईजेशन की जो पौलिसी शुरू हुई और पब्लिक सैक्टर और प्राईवेट सैक्टर में जो मल्टी नैशनलज़ का आना और देश में पूंजी निवेश करने का प्रोग्राम था, उसमें दिल्ली के चारों तरफ कवर करना स्वाभाविक था। हरियाणा सरकार की रिकमैंडेशन पर जुलाना व बावल के लिए इंडस्ट्रीयल ग्रोथ सैन्टर के लिए एक हजार एकड़ जमीन एक्वायर हुई थी, जिसमें दो हजार के करीब फैक्ट्रियां लगनी थी और एक फैक्ट्री में अगर उस एरिया के 50 नौजवानों को भी नौकरी मिलती तो काफी बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता था। लेकिन यह कैसे हुआ ? पोलिटिकल कंसीड्रेशन से हुआ कि जुलाना के साथ भेदभाव करके इस सब-सैन्टर को अम्बाला जिला में स्थापित कर दिया गया। जैसा कि मेरे साथी सत्यनारायण लाठर जी ने बताया कि यह पोलिटीकल कंसीड्रेशन से हुआ है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जब जुलाना में सब-सैन्टर के लिए सब फोर्मैलिटीज भारत सरकार की तरफ से पूरी हो गई थी, तो यह वहां से अम्बाला जिला में तबदील क्यों किया गया ? मंत्री जी कृपया इसका सुपैसिफिक रिप्लाई दें।

सेठ सिरी किशन दास : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने 1992 में भारत सरकार को यह सब-सैन्टर बदलने के लिए अनुरोध किया था इसलिए इसके बारे में चौधरी भजनलाल जी ज्यादा बता सकते हैं लेकिन जो कागजों में कारण दिए गए हैं, वे इस प्रकार से हैं। अम्बाला में जुलाना की बजाए अधिक सुविधाए हैं। अम्बाला नेशनल-हाई-वे से पांच किलोमीटर है और रेलवे स्टेशन से आधा किलोमीटर है। जबकि जुलाना नेशनल हाईवे से 24 किलोमीटर है और और रेलवे स्टेशन से पांच किलोमीटर है। (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंह : जुलाना में तो रेलवे स्टेशन है। (विघ्न)

सेठ सिरी किशन दास : मैं उसका जवाब दूंगा। (विघ्न)

श्री सत नारायण लाठर : अध्यक्ष महोदय, मेरा सप्लीमैंटरी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये सारी सुविधाएं हमारे इलाके में हैं। लेकिन पिछली सरकार ने हमारे इलाके के साथ भेदभाव किया है। मैं आपके सामने शनिवार का अखबार पेश करना चाहता हूं उसमें हमारे इलाके की जितनी भी दिक्कते हैं, वे सारी लिखी हुई हैं। सरकार चाहे चौधरी देवीलाल की रही हो या चौधरी भजनलाल की रही हो, हमारे इलाके के साथ भेदभाव हुआ है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये इस स्कीम को वापिस हमारे इलाके में लायें और नये उद्योग जुलाना में स्थापित करें।

सेठ सिरी किशन दास : अध्यक्ष महोदय, यह प्रोजैक्ट राज्य में लगना था। इसलिए इसमें सैन्टर गवर्नमैंट का भी शेयर था। अब तो पिछली सरकार ने इसको जुलाना से अम्बाला में लगाने के लिए बदलवा लिया। इसमें जो कारण बतायें हैं, वे यह हैं कि जुलाना का पानी खारा है। अम्बाला में पानी 15 हजार गैलन के करीब है जबकि जुलाना की भूमि में दो-तीन हजार गैलन है। (विघ्न) ये सारी बातें वैसे भजनलाल जी बता सकते हैं। (विघ्न)

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, हम कोशिश करेंगे कि जुलाना के लिए तीसरा सब-सैन्टर लगायें। बावल में भी सैन्टर रहे और अम्बाला में भी रहे और जुलाना के लिए हम तीसरा लगाने की कोशिश करेंगे। (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंह : तीसरा आप शाहा में लगायें लेकिन हमारा तो दूसरा ही रहने दें (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री अनिल विज : चौटाला जी की सरकार इसको अम्बाला से जुलाना ले गयी थी।

Mr. Speaker : Now, the matter comes to an end. The Leader of the House has given assurance that Julana will also be included.

Ottu Lake

***82. Shri Bhagi Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the Ottu Lake in district Sirsa has been filled with silt; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to desilt the aforesaid Lake ?

Chief Minister (Shri Bansi Lal) :

(a) Yes, sir.

(b) Yes, a proposal for desilting of the lake is under consideration of the Government.

श्री भागी राम : जैसे कि इन्होंने माना है कि उस झील में गाद आ गई है या रेत भर गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उसको निकलवाने के लिए प्रस्ताव कब तक विचाराधीन रहेगा ? यह तो हर सवाल का जवाब नहीं होना चाहिए कि विचाराधीन है। मैं इनको याद करवाना चाहता हूं कि पिछले सैशन में इन्होंने यहां पर खड़े होकर यह कहा था कि जब इन्होंने चुनाब के दौरान ओटू पुल से क्रास किया था तो मेरे आंसू आ गए थे। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या इनके वह आंसू अब सूख गए हैं ? उसके बाद पानी शुरू क्यों नहीं हुआ ?

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं खाली चुनाव के दौरान ही नहीं, बल्कि पिछले 5 साल में ओटू से कम से कम 20 बार निकला हूं। श्री भागी राम जी यह ठीक कह रहे हैं कि इसमें सिल्ट आ गई है। मैं बताना चाहता हूं कि 9 हजार एकड़ फीट इसमें पानी आ सकता था और आज एक हजार एकड़ फीट से ज्यादा पानी नहीं रह सकता। सारी झील में गाद भर गई है। क्योंकि किसान वहां पर खेती करते हैं, इसलिए हम इसकी एक प्रोपोजल बना रहे हैं और इसकी प्रोपोजल बनाकर इसकी कैपेसिटी 9 हजार से भी ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। इसमें से 3 नहरें निकलती हैं। नार्दर्न घग्गर कैनाल, सदर्न घग्गर कैनाल और शेरांवाली कैनाल । नार्दर्न घग्गर कैनाल में पानी 92 क्यूसिक, सदर्न घग्गर कैनाल में 423 क्यूसिक है और तीसरी शेरांवाली कैनाल सिर्फ बाढ़ के दिनों में ही चलती है। वह आगे पीछे नहीं चलती है।

श्री भागी राम : मैं मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं और इनके नोटिस में लाना चाहता हूं कि गाद बढ़ जाने की वजह से (विध्न) पानी के आने जाने का रास्ता बहुत कम हो गया है और उधर से ओटू का जो पुल है, वह भी डेमेज हो गया। वहां लम्बा-चौड़ा रास्ता है। अगर वहां पर छत टूट गई तो डबवाली और हनुमानगढ़ का रास्त बंद हो जाएगा। इसलिए मैं मुख्य मंत्री महोदय जी से यह जानना चाहता हूं कि घग्गर के पानी की क्रासिंग के लिए रास्ता चालू करने के लिए पुल निर्माण का कार्य कब तक चालू करेंगे ?

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, इस प्रोजैक्ट में पूरी स्कीम बना रहे हैं और जब बनाएंगे तो इनको भी बता देंगे । मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमने अब पक्का फैसला कर लिया है कि ओटू लेक पहले से कहीं अच्छी बनेगी।

Embezzelement/Irregularities Committed in Flood Relief Fund

***122. @Shri Jagbir Singh Malik**
Shri Vinod Kumar Maria : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether Government has received any complaint in regard to the embezzelement/irregularities committed in the distribution of Flood Relief Fund during the year 1995; if so, the details thereof togetherwith the action taken thereon;

(b) the details of the amount received from the Central Government as Graint-in-aid or loan for providing relief to the Flood affected people in the State during the period as referred to in part (a) above; and

(c) whether the amount as referred to in part (b) above was fully disbursed, if not, the reasons thereof ?

राजस्व मंत्री (श्री सूरजपाल सिंह) :

(क) जी हां। इस संबंध में बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनकी छानबीन की जा रही है और विस्तृत ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

(ख) भारत सरकार से अनुदान अथवा ऋण के रूप में प्राप्त राशि का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

(i)	अनुदान राशि	39.41 करोड़
(ii)	ऋण राशि	300.00 करोड़
	कुल जोड़	339.41 करोड़

(ग) इस बारे छानबीन की जा रही है।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय जी से यह पूछना चाहता हूं कि यह जानकारी कब तक प्राप्त हो जाएगी और जो बकाया राशि बांटनी है तथा जिन लोगों को मुआवजा राशि नहीं मिली, वह उनमें तकसीम की जाएगी या नहीं ?

श्री सूरज पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमारे पास सारे जिलों से लगभग 1,539 के करीब कम्पलेंट्स आ रही हैं और उनके बारे में हम विस्तृत रूप से छानबीन कर रहे हैं। कुछ की रिपोर्टस हमारे पास आ भी गई हैं, जिनके तहत हम कर्मचारियों को रूल-7 के तहत चार्जशीट कर रहे हैं। इसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट आने पर ही सूचित किया जा सकता है।

@ Put by Shri Jagbir Singh Malik

10.00 बजे

श्री विनोद कुमार मढ़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से हरियाणा सरकार की जो बाढ़ राहत राशि मिली थी उसके वितरण करने का क्या क्राइटेरिया था ? टोहाना सब-डिविजन में बाढ़ के कारण किसानों का बहुत ज्यादा नुक्सान हुआ था। बहुत गलत तरीके से पिछली सरकार ने उस राशि का वितरण किया था जैसे रात के 12.00 और रात के दो बजे भी वह राशि बांटी गई थी और अपने चहेते लोगों को वह राशि दी गई थी। मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या बाढ़ राहत राशि नकद दी गई थी या चैक द्वारा दी गई थी या बैंक ड्राफ्ट द्वारा दी गई थी ?

श्री सूरज पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि जहां तक बाढ़ राहत राशि का सवाल है, इसके बारे में जो क्राइटेरिया निर्धारित किया था, वह अनैक्शचर में दिया हुआ है। इसके बारे में सब को पता है कि जिन लोगों के पक्के मकान बाढ़ के कारण गिर गए थे उनको 10-10 हजार रुपये मुआवजे के दिए गए थे और जिनके कच्चे मकान गिर गए थे उनको 5-5 हजार रुपए दिए गए थे।जो भूमि काश्त नहीं हुई थी, उसके 300 रुपए एकड़ के हिसाब के दिए गए थे। केन्द्रीय सरकार ने बाढ़ राहत राशि वितरण करने के लिए जो क्राइटेरिया निर्धारित किया हुआ है उसके अनुसार वह मुआवजा वितरण किया गया था।

श्री विनोद कुमार मढ़िया : स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैंने यह पूछा था कि जो बाढ़ राहत राशि वितरण की गई, क्या वह चैक के रूप में वितरित की गई या नकद दी गई या बैंक के माध्यम से दी गई ?

श्री सूरज पाल सिंह : स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि वह पैसा पहले ही पिछली सरकार ने बांट दिया था। उस पैसे के वितरण के बारे में हमारे पास जो शिकायतें आई हुई हैं, उनकी हम जांच कर रहे हैं।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा हाऊस के नेता जी से कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने जो मुआवजा राशि बांटी थी और उसमें से जो बकाया राशि रह गई है क्या वह राशि बंटवाई जाएगी या नहीं ? इस साल बाढ़ के कारण किसानों का जो नुक्सान हुआ है, क्या उसकी भी किसानों को मुआवजा राशि दी जाएगी या नहीं ? यदि दी जाएगी तो कब तक दी जाएगी ? अध्यक्ष महोदय, यदि यह सरकार इस बार बाढ़ के कारण हुए नुक्सान का मुआवजा किसानों को देगी तो इससे यह साबित होगा कि यह मौजूदा सरकार किसानों की हमदर्द है।

श्री सूरज पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सवाल किया है और इन्होंने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया है। वैसे मैं इनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि इस बारे में एक सर्वे किया गया है। उसमें यह पाया गया था कि 3000 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा काफी नहीं था। हमने प्रयत्न करके जिस-जिस भूमि में बाढ़ का पानी खड़ा था, उस क्षेत्र को खाली करवा दिया है। अब उस क्षेत्र में 10-10 और 12-12 हजार रुपये की प्रति एकड़ के हिसाब से फसल हो चुकी है।केवल 400 या 500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने से किसानों का भला नहीं हो सकता।

श्री कृष्ण पाल गुज्जर : अध्यक्ष मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं।मंत्री जी ने अभी बताया था कि पिछली सरकार द्वारा जो बाढ़ राहत राशि बांटी गई थी उसके गलत वितरण बारे में जो बड़े-बड़े अधिकारी और छोटे कर्मचारी दोषी हैं, उनको सजा दी जाएगी। मैं इनसे यह जानना

[श्री कृष्ण पाल गुज्जर]
चाहता हूं कि उनके साथ-साथ उस समय की सरकार के जो बड़े-बड़े अधिकारी थे, क्या उनको भी सजा मिलेगी ?

श्री सूरज पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सवाल किया है। आपको पता है कि पिछली सरकार जो 300 करोड़ रुपया सैंटर से ले कर आई थी, वह अनुदान राशि नहीं थी, वह तो लोन था और वह पैसा हमें 13 परसैंट ब्याज समेत वापिस करना पड़ रहा है। उसके बारे में तो भूतपूर्व मुख्य मंत्री चौधरी भजन लाल जी ज्यादातर जिम्मेदार हैं। इनको उसके बारे में अच्छी तरह से पता है कि उस राशि का अधिकारियों ने ठीक वितरण किया था या नहीं। मेरे ख्याल में उस समय अधिकारियों ने वह पैसा ठीक वितरित न करके अपनी जेबों में डाल लिया। इस बारे में जांच चल रही है, उसकी रिपोर्ट आने पर आपको बता देंगे कि उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा और उनको कितनी सजा दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष : माल मंत्री जी, पिछले साल हमें अखबारों में पढ़ने के लिए मिला था कि सैंटर गवर्नमैंट से पिछली सरकार को 600 करोड़ रुपया मिला था लेकिन आज आपने 300 करोड़ रुपये के आंकड़े बताए हैं। क्या आप बताएंगे कि वह 300 करोड़ रुपया था या 600 करोड़ था। हम भी उस समय इस हाउस के सदस्य थे, हमें उस समय यही बताया गया था कि वह 600 करोड़ रुपया था। एक बात मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उस समय जितनी राशि बांटी गई और जो बाकी राशि रह गई, क्या वह राशि किसानों को बांटी जाएगी या नहीं ?

श्री सूरज पाल सिंह : आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। मैं बताना चाहूंगा कि हमें भारत सरकार से 300 करोड़ रुपये ऋण के रूप में प्राप्त हुए थे और 39.41 करोड़ रुपये की ग्रान्ट मिली थी। ऋण का जो हम यह 300 करोड़ रुपया वापस करेंगे, इसे 13 परसैंट ब्याज के हिसाब से इस साल ये किश्तों में वापस देना शुरू भी कर दिया है। जहां तक बकाया राशि के वितरण का सवाल है, कुछ जगहों के मसले कोर्ट में गए हैं, कोर्ट की जैसी हिदायतें होंगी, उसी के अनुसार अगली कार्यवाही की जायेगी।

श्रीमती कृष्णा गहलावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत कहना चाहूंगी कि पीछे बारिश से बाढ़ आने की वजह से लोगों के कच्चे/पक्के मकान गिरे थे, उस वक्त की सरकार ने कच्चे मकानों को 5,000 रुपये और पक्के मकानों के लिए 10,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की थी। मैं मंत्री महोदय, को बताना चाहूंगी कि उस बाढ़ में मेरे हल्के के वाण्डा गांव में 400 कच्चे मकान और 100 पक्के मकान गिर गए थे। उस वक्त उन लोगों को जिनके कच्चे मकान गिरे उनको 500 रुपये और जिनके पक्के मकान गिरे उनको 1,000 रुपये दिये गए थे। मैं जानना चाहूंगी कि जो बकाया पैसा उनका रह गया है, क्या वह उनको मिलेगा या नहीं ?

श्री सूरजपाल सिंह : जो पैसा दिया था, वह उस वक्त की सरकार ने दिया था जिनके मकान गिरे थे उनको पैसा नहीं मिला, इस प्रकार की हमारे पास 1500-1600 व्यक्तियों की शिकायतें आई हैं। उनकी पूरी जांच हो रही है। जांच के बाद ही अगली कार्यवाही होगी। (विघ्न) हमें सैन्टर से 600 करोड़ रुपया नहीं मिला केवल 300 करोड़ रुपया ऋण के रूप में और 39.41 करोड़ रुपया ग्रान्ट के रूप में मिला था।

श्री खुर्शीद अहमद : अध्यक्ष महोदय, नूंह तहसील में पिछले साल बाढ़ की वजह से कोटला, मोहमुदपुर व कई अन्य गांवों में काफी नुक्सान हुआ था। उनको पैसा नहीं मिला। सी०एम०साहब ने कहा था कि जल्दी ही पैसा दे देंगे, मैं जानना चाहूंगा कि यह पैसा कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री सूरज पाल सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं चौधरी खुर्शीद अहमद को बताना चाहूंगा कि यह मामला कोर्ट में है। जैसा कोर्ट आदेश देगी, हम कार्यवाही करेंगे। बाकी सी०एम० साहब कुछ कहना चाहते हैं, वे जैसा आदेश देंगे, उस पर अमल होगा।

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : यह ठीक है कि यह मामला कोर्ट में पैंडिंग है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मेरी और चौधरी खुर्शीद अहमद की इस बारे में बात हो चुकी है। हम वहां पर 15 दिन के अन्दर-अन्दर भुगतान कर देंगे।

श्री हरमिन्दर सिंह : मैं मंत्री महोदय, से जानना चाहूंगी कि पिछली बाढ़ के दौरान जिन लोगों के ट्यूबवैल्ज़ डैमेज हो गए थे, उनको मुआवजा नहीं मिला वह कब तक देंगे और उनके बिजली के बिलों के बारे में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री सूरज पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य ने ट्यूबवैल्ज़, जो डैमेज हो गए थे, उन के बारे में पूछा है। मैं बताना चाहूंगा कि उस वक्त 65,000 ट्यूबवैल्ज़ डैमेज़ हुए थे। कुछ पैसा दिया गया भी है। किस जिले में कितने ट्यूबवैल्ज़ डैमेज हुए, उसका पूरा ब्यौरा अनैक्शचर में दिया हुआ है। यदि मुझ से जिलावाईज़ पूछना चाहेंगे तो मैं वह भी बताने के लिए तैयार हूं।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि पिछले साल जो बाढ़ आई थी और उस बाढ़ के बाद जो राशि हमें भारत सरकार से प्राप्त हुई, चाहे वह 300 करोड़, 500 करोड़ या जितनी भी आई, क्या उस बारे में ये एक व्हाईट पेपर इशू करेंगे कि भारत सरकार से कुल कितनी राशि आई और वह किन-किन मदों में कितनी-कितनी खर्च हुई ? जो 1500-1600 शिकायतों का जिक्र इन्होंने किया है, वे तो इन्डीविजुअल शिकायतें आई हैं, क्योंकि उस वक्त धपलेबाजी तो काफी हुई है। किसी ने कहा कि उसे तीन हजार मिल गया या किसी को 10 हजार मिल गया यही बात नहीं है। 3-3 सर्वे करवाए गये। पहला सर्वे करवाया तो लोगों ने कहा कि हमारा नुक्सान हुआ है हमें मदद दीजिए, दूसरा सर्वे करवाया तब भी लोगों ने बताया कि हमारा नुक्सान हुआ है, हमें मदद दीजिए और तीसरी बार सरकार द्वार सर्वे करवाया गया तब भी लोगों ने कहा कि हमारा नुक्सान हुआ है मदद दीजिये। स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से स्पैसिफिकली यह जानना चाहता हूं कि क्या जैनुअन लोगों को मदद दी गई है या मुंह देख कर पैसा दिया गया ? मैं बताना चाहूंगा कि उचाना में तो राहत के लिए 10 लाख रुपये भी नहीं मिले जब कि नरवाना में लोगों को बर्तन तक बांटे गये। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि कितना पैसा बाढ़ राहत कार्यों के लिए आया और वह पैसा किस-किस मद पर कितना-कितना खर्च हुआ है, इसका ब्यौरा मंत्री जी बताने की कृपा करें ? (विघ्न)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष, * * * *

Mr. Speaker : Nothing to be recorded. (Interruptions)

श्री सूरज पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी श्री बीरेन्द्र सिंह जी को बताना चाहूंगा कि जो राशि दी गई है, वह बाढ़ राहत कार्यों के लिए भी दी गई है और ऋण के रूप में भी दी गई है। जिलावाईज़ डिटेल भी मेरे पास है। टोटल 218.59 लाख रुपये की राहत राशि दी गई है जबकि 31 लाख के ऋण दिए गए हैं।

---

* Not recorced as ordered by the Chair.

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो शिकायतें मिली हैं, उनके बारे में भी सवाल पूछा है। जो शिकायतें मिली हैं, उनके ऊपर इन्क्वायरी करवाएंगे और बाद में बता देंगे।

डॉ० बीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, पिछले साल जो बाढ़ आई थी, उस समय केन्द्र सरकार से प्राप्त बाढ़ राहत राशि में से किसानों को मुआवजा दिया गया था और वह मुआवजा सरकार द्वारा सर्वे करवा कर दिया गया था। सर्वे की जो रिपोर्ट्स आई थीं, उन्हीं के आधार पर राहत राशि दी गई। सर्वे रिपोर्ट की सूचि में कुछ नाम ऐसे भी रह गए हैं, जिन को मुआवजा नहीं मिला। क्या सरकार इस बात को मानती है कि कुछ लोग ऐसे रह गए हैं, जिनका नुक्सान हुआ है लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिल सका और उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए ? अगर सरकार मानती है कि मुआवजा दिया जाना चाहिए तो क्या सरकार उनको मुआबजा देगी ? अगर केन्द्रीय राहत राशि से मुआवजा देना संभव नहीं है तो यह सरकार जो किसानों के वैल्फेयर के लिए वचनबद्ध होने का दावा करती है, क्या वह किसानों को मुआवजा देने के लिए अपने निजी कोष से राशि देने का कोई प्रावधान करेगी ?

श्री सूरज पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने जो मुआवजा दिया है, वह मैंने पहले ही बता दिया है। जो शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उन पर जांच करवाएंगे और जांच के बाद जो भी रिजल्ट होगा वह हम इनको बता देंगे।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, उस साईड से जितने भी माननीय सदस्य खड़े होते हैं, वे पिछली सरकार की चर्चा ही करते हैं। पिछली सरकार ने बाढ़ के समय में इस प्रदेश के लोगों की जितनी सेवा की है वह सराहनीय है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप सप्लीमैंटरी पूछिये। (विघ्न) You are not allowed to make the statement.

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही कहना है कि मुझे अपनी स्थिति क्लीयर करने का मौका दीजिए। (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, यह क्वैश्चन आवर है इसलिए आप केवल सप्लीमैंटरी पूछिये। Statement is not allowed. (विघ्न एवं शोर)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि आफिसर्ज़ की एक हाई पावर्ड कमेटी बनी थी, तो क्या हाई पावर्ड कमेटी ने समय-समय पर जाकर वहां पर जांच की। क्या 40 करोड़ रुपये की सब-सीडी मिली या नहीं मिली और 220 करोड़ रुपये जो सड़कें टूट गई थी, नहरें टूट गई थी और जो नुक्सान हुआ था, उन पर खर्च हुआ या नहीं हुआ है ? इस बारे में बताएं।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय वह पैसा खर्च हुआ या नहीं हुआ, इस बारे में इन्क्वायरी कर रहे हैं।

श्री भजन लाल : जहां कोई भी गड़बड़ हुई हो उसकी जांच करनी चाहिए।

* * * * * * * *

* * * * * * * *

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी जो कुछ भी बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। (शोर एवं व्यवधान) यह प्रश्न काल है, आप सप्लीमैंटरी पूछें। कोई भी स्पीच अलाऊ नहीं की जाएगी।

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, आप द्वारा हमें तो प्रश्न पूछने को कहा जा रहा है लेकिन ट्रैजरी बैंचिज को भी आप कहें कि हमारे सवाल का सही जवाब दें। हमें दूसरा सवाल पूछने ही नहीं दिया जाता है और हमारे सवाल का जवाब भी नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष : दूसरी सप्लीमैंटरी का प्रोविजन नहीं है। आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं।

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि पिछले वर्ष बाढ़ के वक्त जिन किसानों के खेतों में पानी आया था और जिनका नाम सर्वे की सूची में भी आया था और उनके खेतों के साथ लगते खेतों में भी पानी आ गया था, क्या उनको मुआवजा मिल चुका है ? अगर मिल चुका है तो किस क्राईटेरिए से मिला है; अगर नहीं मिला है तो सरकार उनको किस आधार पर पैसा देने की कोशिश करेगी ?

श्री सूरज पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि जिनको मुआवजा नहीं मिला है, उनकी हमें 15 सौ या 16 सौ के करीब शिकायतें आई हैं। जब उनकी छानबीन पूरी हो जाएगी तो उस बारे में हम आपको बता देंगे कि उनको पैसा मिला है या नहीं मिला है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री खुर्शीद अहमद : अध्यक्ष महोदय, जिन खेतों में से इस साल तक भी पानी नहीं निकला है या नहीं निकल पाने की संभावना है, क्या सरकार की तरफ से उनको मुआवजा दिया जाएगा; अगर दिया जाएगा तो कितना दिया जायेगा ? क्या मुआवजा देने में पिछली सरकार की तरह से धांधली तो नहीं होगी ?

श्री सूरज पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम कोशिश कर रहे हैं कि 15 दिसम्बर तक किसी भी खेत में, गांव में पानी खड़ा न रहे। अगर खड़ा रहेगा तो उस बारे में जो भी क्राईटेरिया है, उसी हिसाब से काम करेंगे। इसके अलावा जो धांधली वाली बात इन्होंने कही है, तो मैं इनको यह कहूंगा कि हम किसी भी प्रकार की धांधली नहीं होने देंगे।

Construction of a Bus Stand at Rohtak

***109. Shri Dhir Pal Singh :** Will the Minister for Transport be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Bus-Stand at Rohtak bye-pass; and

(b) if so, the time by which the construction work of the said Bus-Stand is likely to be started ?

परिवहन मंत्री (श्री नारायण सिंह) :

(क) जी, हां।

(ख) बस स्टैण्ड का निर्माण रोहतक बाई पास पर अगले वित्तीय वर्ष में आरम्भ होने की सम्भावना है।

श्री धीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने रोहतक बाई-पास पर बस अड्डे के बनाने की संभावना अगले वित्तीय वर्ष में जाहिर की है। मैं मंत्री जी की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह जानकारी चाहूंगा कि क्या पिछले मुख्य मंत्री जी ने इस बस स्टैण्ड के निर्माण के लिए कोई शिलान्यास किया था ?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि पिछले मुख्य मंत्री जी ने वहां पर एक पत्थर रखा था लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई पैसे का प्रावधान नहीं किया था। अगर पैसे का प्रावधान किया होता तो यह बस स्टैण्ड बन जाता। (विघ्न) उन्होंने वहां केवल पत्थर लगा रहा था।

श्री धर्मवीर बाबा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो यह बस स्टैण्ड बनते हैं, बनने के बाद इनके प्रोटैक्शन की जिम्मेदारी किसकी है, यह किसकी प्रोपर्टी रहती है ? क्या यह बताएंगे कि बनने के बाद कितने बस स्टैण्ड ऐसे हैं जिन पर नाजायज ढंग से लोगों ने कब्जा कर लिया है या किया जा रहा है ? अभी परसों ही गुड़गांव के अंदर वहां के बस स्टैण्ड के एक काफी बड़े पोरशन पर कब्जा कर लिया गया है।

विकास तथा पंचायत मंत्री (श्री जगन्नाथ) : अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई मामला हमारे नोटिस में नहीं आया है। अगर कोई सदस्य ऐसा मामला नोटिस में लाएंगे, तो हम पता कर लेंगे।

श्री धीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा पंचायत एवं विकास मंत्री से जानकारी चाहूंगा कि जिस रोहतक बाई-पास पर बस स्टैण्ड के निर्माण की प्रस्तावना विचाराधीन है, उसके लिए क्या कोई भूमि अधिग्रहण की गयी है; यदि हां, तो उसकी सीमा क्या है और वह किस स्टेज पर है ? यदि इस बस स्टैण्ड के निर्माण पर पिछली सरकार ने कोई राशि खर्च की है, तो वह राशि कितनी थी और किस-किस मद पर वह राशि खर्च हुई ?

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, इस बस अड्डे के बनाने के लिए 19 एकड़ 6 कैनाल जमीन एक्वायर की गयी है और उस जमीन की कीमत 59,60,625 रुपये थी और यह बस स्टैण्ड दो करोड़ बीस लाख रुपये की लागत से बनना था। मगर पिछली सरकार ने उस पैसे का कोई प्रावधान नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, रोहतक बहुत बड़ा शहर है और वहां पर बस अड्डा शहर के भीतर हो गया है इसलिए जितनी जल्दी हो सकेगा हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे।

Erection of Studs

***188. Shri Banta Ram Balmiki :** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that hundred acres of fertile land of Gumthala Rao, Sandhali, Unheri, Lal Chhapar, Sandhala, Jathlana and some other villages of Radaur constitutency has been eroded by Yamuna water; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to erect studs on the Yamuna river to check the said soil erosion ?

Chief Minister (Shri Bansi Lal) :

(a) About 10 acres of land was eroded by Yamuna river during floods of 1996 in Radaur constituency.

(b) Yes Sir, studs to check soil erosion will be erected by June, 1997.

श्री बन्ता राम बाल्मीकि : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि वोट लेने के लिए तो किसानों को समाज की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछें।

श्री बन्ता राम बाल्मीकि : सर, मेरा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री जी ने यह बात ऐडमिट की है कि रादौर हल्के में 1996 में बाढ़ के दौरान यमुना नदी से दस एकड़ भूमि का कटाव हुआ था। मैं इनसे यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां पर जो दस एकड़ किसानों की भूमि का कटाव यमुना नदी से हुआ है, क्या सरकार उन जमीन मालिकों को कोई मुआवजा देगी ? मेरा दूसरा सवाल यह है कि .....

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, सदस्य ने एक सप्लीमैंट्री पूछ ली है। पहले मैं उसका जवाब दे दूं और अगर बाद में दूसरी पूछेंगे तो फिर मैं उसका जवाब दे दूंगा। (विघ्न)

श्री बन्ताराम बालमीकि : अध्यक्ष महोदय, अभी मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : बन्ता राम जी, अभी आप बैठिये।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपके निर्णय भी अजीब किस्म के हैं एक मैम्बर कायदे कानून के मुताबिक सप्लीमैंट्री पूछ रहा है। (विघ्न) आप उसे पूछने भी नहीं देते। (शोर)

Shri Bansi Lal : He is casting aspersion on the Chair. He does not know what he should say to the Chair. एक अनपढ़ आदमी चेयर को सिखाता है ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, एक मैम्बर क्वैश्चन पूछ रहा है, उसका सवाल 'क' और 'ख' के हिसाब से दो हिस्सों में है।

श्री अध्यक्ष : बन्ता राम जी, आपके क्वैश्चन के दो हिस्से हैं 'ए' और 'बी' । आप "ए" पर एक सवाल पूछिए और "बी" पर एक सवाल पूछिए।

श्री बन्ता राम : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने आश्वाश्न दिया है कि जून 1997 तक स्टड्स बना देंगे। इसके बारे में मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि कितनी राशि इसके लिए निर्धारित की है ?

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, उसके ऊपर जितनी भी राशि लगेगी, हम खर्च करेंगे। पैसे का सवाल नहीं है, सवाल है यमुना से हरियाणा की जमीन बचाने का। उस के लिए जितने भी स्टड्स लगाने पड़ेंगे, उतने लगाएंगे और हमारे हरियाणा की जमीन बचाएंगे।

Creation/Upgradation of Sub-Tehsils

***103. Shri Satvinder Singh Rana :** Will the Minister for revenue be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to create new Sub-Tehsils and to upgrade Sub-Tehsils in the State; if so, the names and places thereof ?

राजस्व मंत्री (श्री सूरज पाल सिंह) : नहीं, जी।

श्री सतविन्द्र सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय, से जानना चाहता हूं कि जो तहसीलों का दर्जा बढ़ाया जाता है, उसका क्या क्राइटेरिया है और नई तहसीलें/उप-तहसीलें क्यों नहीं बना रहे।

श्री सूरज पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, तहसील और सब-तहसील बनाने के लिए क्राइटेरिया यह है कि जिले के बाद तहसील और तहसील के बाद उप-तहसील। लेकिन पिछली सरकार ने इलैक्शन को मद्देनजर रखते हुए इसे गांव-वाईज़ बना दिया था जो कि वाएबल नहीं था। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि पहले ही तीन सब-डिवीजन ऐसे थे जो चलने के काबिल नहीं थे, वे भी तोड़ दिए गए हैं और नये बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री जय सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या पिछली सरकार ने कोई सब-तहसील बनाई थी और इस सरकार ने कार्यभार संभालने के बाद किसी सब-तहसील को समाप्त किया है ?

श्री सूरज पाल सिंह : स्पीकर सर, सब-डिवीजन बनाए थे न कि सब-तहसील बनाई थी और वह सब-डिवीजन वाएबल नहीं थे इसलिए उनको तोड़ा गया है।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने कुछ सब-तहसीलें तोड़ी थीं, जिसमें मेरा वाला सब-तहसील भी शामिल थी, उस सब-तहसील को री-इन्सटेट करने का मामला, क्या सरकार के पास विचाराधीन है; यदि है, तो कब तक कर दिया जाएगा ?

श्री सूरज पाल सिंह : ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

श्री सतविन्द्र सिंह राणा : स्पीकर सर, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि राजौंद का क्षेत्र पहले जींद में था और फिर कैथल जिले में मिला दिया गया। इसके कुछ गांव ऐसे हैं जो कलायत ब्लॉक में हैं कुछ कैथल जिले में हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि राजौंद को तहसील या उप-तहसील बना दिया जाये ? यहां पर मुख्य मंत्री जी भी बैठे हुए हैं और मंत्री महोदय भी बैठे हुए हैं। मैं इनसे अनुरोध करता हूं कि राजौंद को तहसील या उप तहसील बना दिया जाये।

Mr. Speaker : Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज़ पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Hailstorm

***89. Shri Ramji Lal :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the number of villages in which crops were badly damaged on account of storm during the period from 1-5-96 to 30-10-96 togetherwith the extent of loss thereof; and

(b) whether any compensation has been paid to the affected farmers; if so, the details thereof ?

Revenue Minister (Shri Suraj Pal Singh) :

(a) A statement is laid on the table of the House.

(b) Compensation to the affected farmers is being paid.

STATEMENT

(a) Statement showing damage to crops by Hailstorm during the period from 1-5-96 to 30-10-1996.

Sr. No.	Name of District	No. of villages	Area affected	Percentage of damage
			(In acres)	
1.	Ambala	5	507	Less than 25%
2.	Sirsa	19	165	-do-
3.	Yamunanagar	19	764	More than 25%
		43	1436	

Upgradation of Govt. Primary School, Mayna

***175. Shri Balwant Singh :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade Government Primary School, Mayna in Rohtak District; and

(b) if so, the time by which the said school is likely to be upgraded ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम विलास शर्मा) :

(क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त "क" के दृष्टिगत प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

Mines and Minerals

***140. Shri Randeep Singh Surjewala :** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) the districtwise details of Mines and Minerals found in the State;

(b) the details of the present policy for the excavation of the Mines and Minerals in the State; and

[Shri Randeep Singh Surjewala]

(c) whether there is any proposal under consideration of the Governmment to nationalise the Mines and Minerals by abolishing private leasing system in the State; if so, the steps taken or proposed to be taken in this regard ?

वित्त मंत्री (सेठ सिरी किशन दास) :

(क) विवरण अनुलग्नक "क" पर उपलब्ध है।

(ख) बड़े खनिजों के निष्कासन के लिए खान पट्टे प्रदान किए जाते हैं जबकि लघु खनिजों के लिए खनन पट्टे, ठेके, लघु अवधि परमिट दिए जाते हैं। ठेके खुली बोली में दिये जाते हैं। ज्यादा समय के लिए खनन पट्टे देने की बजाए खानों को सिर्फ ठेके पर देना सरकार के विचाराधीन है। इसलिए नई सरकार के गठन के उपरान्त किसी भी निजी उद्यमी को कोई खनन पट्टा नहीं दिया गया।

(ग) मामला सरकार के विचाराधीन है।

अनुलग्नक "क"

हर जिले की खान एवम् खनिजों का विवरण

जिला	बड़े खनिजों के पट्टे की संख्या	लघु खनिजों के पट्टे की संख्या	लघु खनिजों के ठेके की संख्या	उपलब्ध खनिज
अम्बाला	-	-	37	पत्थर, बजरी, रेत, ईंटों की मिट्टी, प्लेसर स्वर्ण
भिवानी	4	1	57	कंकर, जिस्त, टिन, इमारती पत्थर, ग्रेनाइट, ईंटों की मिट्टी
फरीदाबाद	32	333	7	सिलिका सैंड, खड़िया मिट्टी (3 जोन सम्मलित है) साधारण रेत पत्थर, दरियाई रेत, ईंटों की मिट्टी, कंकर
गुड़गावां	64	77	36	खिड़िया मिट्टी, क्वार्टजाईट, क्वार्टज, सिलिका सैंड, खनिज पानी, बहिन, साधारण रेत, पत्थर, स्लेट स्टोन, कंकर, ग्रेफाईट,
हिसार	-	-	-	शोरा व ईंटों की मिट्टी
जींद	-	-		"

कैथल	-	-	-	"
करनाल	-	-	3 जोन	दरियाई रेत, ईंटों की मिट्टी शोरा
कुरुक्षेत्र	-	-	11	"
महेन्द्रगढ़	11	12	79	चूने का पत्थर,डोलोमाईट, स्कूल स्लेट माईका क्वाटर्ज, फैल-सफर,आईरन ओर, कैलसाईट, सिलिका सैंड, मारबल, पत्थर,दरियाई रेत, ग्रेनाईट, स्लेट स्टोन
पंचकूला	3	1	42	चूने का पत्थर, डोलोमाईट पत्थर, बजरी, रेत व ईंटों की मिट्टी
पानीपत	-	-	2 जोन	दरियाई रेत व ईंटों की मिट्टी
रेवाड़ी	5	3	16	स्कूल स्लेट, स्लेट स्टोन, पत्थर, ईंटों की मिट्टी
रोहतक	-	-	-	शोरा, ईंटों की मिट्टी कंकेरा
सिरसा	-	-	-	"
सोनीपत	-	-	3 जोन	दरियाई रेत, ईंटों की मिट्टी, शोरा
यमुनानगर	-	-	31	पत्थर, बजरी, रेत, ईंटों की मिट्टी, सोना
	119	127	312	

यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य में शोरे की खानों की नीलामी हर वर्ष माह दिसम्बर 96 व जनवरी 97 में की जाती है।

Setting up of 132 KV Sub-Station at Pipli

***168. Shri Ashok Kumar :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up new 132 KV Sub-station in the State during the year 1996-97;

(b) whether any new 132KV Sub-station at Pipli in district Kurukshetra is proposed to be set up; and

(c) if so, the time by which the said Sub-station as referred to in part (b) above, is likely to be set up ?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) :

(क) हां जी।

(ख) पिपली में, कुरूक्षेत्र जिला की विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना जिसमें कि ओवरसीज इकोनोमिक को-ओप्रेशन फंड (ओ०ई०सी०एफ०) के माध्यम से जापान सरकार द्वारा धन जुटाया जाना है, के अन्तर्गत के 132 के०वी० उपकेन्द्र के निर्माण किये जाने की योजना है। इस कार्य के नियतन के लिए निविदाएं आमन्त्रित की जा चुकी हैं।

(ग) इस उपकेन्द्र का कार्य शुरू करने की तिथि से पूर्ण होने में लगभग 2 वर्ष का समय लगेगा।

Recruitment of H.C.S./Allied Services

***151. Shri Attar Singh Saini :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any irregularities in the recruitment of H.C.S./Allied Services in the State during the period from June, 1991 to April, 1996, have come to the notice of the Government; if so, the details thereof togetherwith the action taken in this regard ?

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल) : जी हां।

सरकार को वर्ष 1996 के दौरान एच०सी०एस०/सम्बद्ध सेवाओं की वर्ष 1993 की लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। मुख्य आरोप थे :— रिकार्ड में हेराफेरी, अवार्ड सूची/उत्तर पुस्तिकाओं को सील न करना, फर्जी रोल नम्बर की गोपनीयता का न रखा जाना, उच्च स्थान प्राप्त 10 उम्मीदवारों द्वारा अनुचित साधनों का अपनाया जाना आदि। सरकार इस मामले की छानबीन कर ही रही थी कि कुछ उम्मीदवार हरियाणा लोक सेवा आयोग की सिफारिश के आधार पर नियुक्तियां देने बारे माननीय हाई कोर्ट में चले गये। मामला निर्णय के लिए न्यायालय में लम्बित है।

Construction of I.T.I. Kalanaur

***165. Shrimati Kartar Devi :** Will the Minister for Finance be pleased to state the time by which the construction work of I.T.I. Kalanaur is likely to be started/completed ?

वित्त मंत्री (श्री सिरी किशन दास) : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन के लिए भूमि का अभी प्रबंध किया जाना है अतः भवन निर्माण कार्यक्रम को समयबद्ध नहीं किया जा सकता।

Construction of a Stadium at Sonepat

***169. Sh. Dev Raj Diwan :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct a stadium with all modern amenities at Sonepat; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialised ?

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : ए तथा बी जी हां, श्रीमान जी, परन्तु उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण मामला आगे नहीं बढ़ पाया है और ऐसा कोई निर्धारित समय बता पाना संभव नहीं है। फिर भी, सोनीपत में मिनी खेल परिसर, जिसमें बहु-उद्देशीय हाल, स्केटिंग रिंक, बास्केटबाल तथा लॉन टैनिस कोर्टस शामिल हैं, का निर्माण कार्य प्रगति में है।

SYL Canal

***99. Shri Siri Krishan Hooda :** Will the Chief Minister be pleased to state the details of the steps taken by the present Government for the construction/ completion of SYL Canal ?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : पिछली सरकार ने नवम्बर, 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक सिविल मुकदमा दायर किया था, जिसमें अनुरोध किया गया था कि पंजाब सरकार को, यदि वे न करें तो भारत सरकार को समयबद्ध तरीके से पंजाब के क्षेत्र में एस०वाई०एल० नहर को पूरा करने के लिए निर्देश जारी किए जाएं। किन्तु यह याचिका 88 सी०पी०सी० के अन्तर्गत नोटिस न देने के कारण प्रारम्भिक स्तर पर ही वापिस कर दी गई, क्योंकि ऐसा नोटिस मुकदमा दायर करने से पहले आवश्यक था। यह मुकदमा 6-9-96 को दोबारा दायर कर दिया गया और तत्परता से इसकी पैरवी की जा रही है।

Repair/Replacement of pumps of J.L.N. and Mohindergarh Lift Canals

***4. Capt. Ajay Singh Yadav :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the pumps of J.L.N. Lift Canal and Mohindergarh Lift Canal are not pumping out the water as per their original capacity and require immediate repair/replacement; and

(b) if so, the time by which the pumps as referred to above, are likely to be repaired/replaced ?

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल) :

(क) जी हां।

(ख) जे०एल०एन० उठान नहर के कुछ पम्प 30-11-96 तक कार्य करने योग्य बना दिये जायेंगे। जे०एल०एन० उठान नहर/महेन्द्रगढ़ नहर सिस्टम के बाकी पम्पों की भी, जिनकी ज्यादा मरम्मत होनी है या तबदीली होनी है, फण्ड मिलने के आधार पर 31-3-98 तक कर दी जायेगी।

Electricity Connections to Tubewells

***17. Shri Ram Pal Majra :** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the districtwise number of applications for tubewell connections if any, lying pending in the State at present togetherwith the time since when these are lying pending; and

(b) the time by which the aforesaid connections are likely to be released ?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : इस सम्बन्ध में एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के आंकड़ों को जिला अनुसार न रखकर परिमंडल अनुसार रखा जाता है। दिनांक 31-8-96 की समाप्ति तक ट्यूबवैल कनैक्शनों के लिये लम्बित आवेदन पत्रों का विवरण परिमंडल/अवधि अनुसार निम्न-प्रकार था :-

परिमंडल	6 मास से कम पुराने	6 मास से 1 वर्ष तक के पुराने	1 से 2 वर्ष तक पुराने	2 से 3 वर्ष तक पुराने	3 वर्ष से अधिक पुराने	योग
1	2	3	4	5	6	7
अम्बाला	383	328	353	227	251	1542
यमुनानगर	447	439	876	1439	2771	5972
कुरुक्षेत्र	701	1177	1857	1425	3697	8857
करनाल	853	753	1757	2715	6505	12583
फरीदाबाद	238	158	341	399	828	1964
सोनीपत	511	557	690	1079	1832	4669
गुड़गांव	1049	467	500	1049	965	4030
नारनौल	1121	813	1120	1160	2852	7066
सिरसा	137	211	576	765	3993	5682
भिवानी	1218	906	1273	1333	2622	3752
जींद	495	918	1070	1116	2463	6062
रोहतक	216	222	505	551	725	2219
हिसार	398	409	705	770	3772	6054
योग	7767	7358	11623	14028	33276	74052

(बी) आवेदन पत्रों का प्राप्त करना तथा ट्यूबवैल कनैक्शनों का जारी करना एक नियमित प्रक्रिया है, वित्तीय स्रोतों की उपलब्धि के आधार पर ही पूर्वनिर्धारित वार्षिक लक्ष्य के अनुसार अधिक से अधिक बिजली कनैक्शन जारी करने के प्रयत्न किये जाते हैं।

Upgradation of Government Middle School, Dadlana

***35. Shri Krishan lal :** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Govt. Middle School, Dadlana, District Karnal; if so, the time by which the said school is likely to be upgraded ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम विलास शर्मा) : वर्तमान में विद्यालय को स्तरोन्नत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Completion of Roads

8. Shri Kailash Chander Sharma : Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state the time by which the construction work of the following roads of Mahendergarh District are likely to be completed :-

1. Aasrawas to Budwal via Dhani Sagawali;
2. Niyamatpur Morund to Raimalikpur;
3. Nagal dargu to Mosnota;
4. Dhani Sainia Thanwas to Rajasthan Border;
5. Ganwari Jat to Sareli;
6. Dantal to Rajasthan Border; and
7. Gahali to Mehrampur ?

विकास तथा पंचायत मंत्री (श्री जगन्नाथ) : इन सड़कों का निर्माण कार्य वर्ष 1997-98 में पूरा होने की संभावना है।

Nawalpur Distributary

9. Shri Kailash Chander Sharma : Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the water of Nawalpur distributary of Mahendragarh District does not reach upto the tail of the following villages :— 1. Sirohi 2. Mohanpur 3. Brahminwas Kheta, 4. Banihari, 5. Nayah, 6. Thanwas, 7. Nagal Soda, 8. Aasrawas, 9. Niyamatpur, 10. Morund, 11. Gothri, 12. Nagal Nunia, 13. Amarpur, 14. Boodwal, 15. Rai Malikpur etc; and

(b) if so, the reasons thereof togetherwith the steps taken or proposed to be taken to provide the water upto the tail of the above said villages ?

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल) :

(क) जी हां।

[श्री बंसी लाल]

(ख) ये गांव नवलपुर रजबाह के अन्तिम छोर पर स्थित हैं। पम्प घर नं० 6,7 और 8 इन पम्प घरों को अभी तक बिजली नहीं मिली है। मास अक्तूबर 1996 के दौरान, इन पम्प घरों को बिजली देने के लिए हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड को 72.67 लाख रुपये दिये गये हैं। जिन नहरों का अन्तिम छोर इन गांवों में पड़ता है। पम्प घरों को बिजली मिलने पर वहां पानी पहुंचने लगेगा।

Construction of Bridges

10. Shri Kailash Chander Sharma : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct the bridges on the Canals at Villages Amarpur, Boodwal and Thanwas; and

(b) if so, the time by which the aforesaid bridges are likely to be constructed ?

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल) :

(क) जी नहीं।

(ख) ये गांव बुडवाल सब माईनर के साथ स्थित हैं। पहले ही तीन पुल 0.598 कि०मी०, 2.250 कि०मी० और 3.250 कि०मी० और दो साईफन पैसेज सहित 1.6 कि०मी० तथा 2.70 कि० मी० बुडवाल माईनर पर हैं। ये पुल और साईफन उपरोक्त गांवों की सहायता करते हैं। जैसा कि सरकार द्वारा स्वीकृत प्रावधानों अनुसार पुल बनाये गये हैं और अभी इनके अतिरिक्त कोई अन्य पुल बनाने का सुझाव नहीं है।

Vacant Posts of Teachers

11. Shri Kailash Chander Sharma : Will the Minister for Education be pleased to state the subjectwise number of posts of teachers, if any, lying vacant in the schools in the State at present togetherwith the time by which the said vacant posts are likely to be filled up ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : राज्य के राजकीय विद्यालयों में विषयवार अध्यापकों के रिक्त पदों की संख्या इस प्रकार है :-

1.	जे०बी०टी० अध्यापक	3144
2.	सी०एण्ड वी० अध्यापक	
	(क) हिन्दी अध्यापक	258
	(ख) संस्कृत अध्यापक	521
	(ग) पी०टी०आई० अध्यापक	186

(घ)	कला अध्यापक	352
(ङ)	पंजाबी अध्यापक	258
	कुल	1575

3. मास्टर/मिस्ट्रैस

(क)	सामाजिक अध्ययन अध्यापक	325
(ख)	विज्ञान	260
(ग)	गणित	260
(घ)	डी०पी०आई०	198
(ङ)	गृह विज्ञान	60
(च)	संगीत	39
(छ)	कृषि	1
(ज)	कला	6
(झ)	कामर्स	1
	कुल	1150

4. प्राध्यापक

(क)	अंग्रेजी	111
(ख)	हिन्दी	77
(ग)	इतिहास	99
(घ)	राजनीति शास्त्र	58
(ङ)	कामर्स	98
(च)	बॉयोलाजी	95
(छ)	संस्कृत	68
(ज)	भूगोल	24
(झ)	फिजीक्स	170
(ञ)	अर्थशास्त्र	75
(ट)	गणित	106
(ठ)	रसायन	129
(ड)	पंजाबी	10
(ढ)	समाज शास्त्र	18
(ण)	गृह विज्ञान	22
(त)	संगीत	4
(थ)	उर्दू	1
	कुल	1165

इन रिक्त पदों को शीघ्रता से भरने बारे प्रयास किये जा रहे हैं।

Opening of Veterinary College

16. Shri Krishan Pal Gujjar : Will the Minister for Revenue be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Veterinary College in District Faridabad ?

राजस्व मंत्री (श्री सूरजपाल सिंह) : जी नहीं।

Setting up of 20 Beded Hospital

17. Shri Krishan Pal Gujjar : Will the Minister for Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up 20 to 50 beded Hospital in the rural area of Faridabad District ?

स्वास्थ्य मंत्री (डॉ० कमला वर्मा) : जी नहीं।

Providing of Drinking Water to Faridabad City

18. Shri Krishan Pal Gujjar : Will the Minister for Public Health be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to provide drinking water to Faridabad city from Yamuna river under the rainy-well scheme; and

(b) if so, the time by which the said proposal is likely to be materialized ?

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री जगन्नाथ) :

(क) जी हां।

(ख) उक्त योजना के तैयार करने के लिय कोई समय सारणी निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि अभी रैनीवेल द्वारा उपलब्ध होने वाली पानी की मात्रा और गुणवत्ता के बारे में विस्तृत जांच करवाई जा रही है।

Laying of Sewerage System

19. Shri Krishan Pal Gujjar : Will the Minister for Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to lay sewerage system for the disposal of waste water of the villages falling in the boundary of Faridabad Municipal Corporation; if so, the time by which the above said proposal is likely to be materialised ?

स्वास्थ्य मंत्री (डॉ० कमला वर्मा) : जी हां।

आनंगपुर डेरी, सराय ख्वाजा, मुजेसर, सारन, फतेहपुर चंदिला, दौलताबाद और अजरौंडा गांवों में सिवर का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। पल्ला गांव में सिवर का कार्य 31 मार्च, 1997 तक पूरा

होने की सम्भावना है। सीही गांव के 80 प्रतिशत क्षेत्र में सिवर का कार्य चालू स्थिति (फंकशनल) में है और गांव के शेष भाग के लिये कार्य अगले वित्तीय वर्ष में शुरू किया जायेगा।

निगम की सीमा में आने वाले शेष गांवों में (6 बे-चिराग गांवों को छोड़कर) सिवर का कार्य फेसिज़ में धन-राशि उपलब्ध होने पर प्रारम्भ किया जायेगा।

गैर-सरकारी कार्य दिवस को सरकारी कार्य दिवस में परिवर्तित करने संबंधी मामला उठाना

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, लेकिन आज का दिन तो नॉन आफिशियल था फिर इस दिन को आफिशियल दिन में कैसे कंवर्ट कर दिया बगैर सदस्यों के नोटिस में लाए? यह बात समझ में नहीं आई । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : पहले आप बैठिये। मैं सभी आनरेबल मैम्बर्ज़ को बताना चाहता हूं कि कल विपक्ष के सभी सदस्य अपनी मर्जी से सदन से बाक आऊट कर गये थे। उसके बाद पार्लियामैंटरी अफेयर्ज़ मिनिस्टर ने एक मोशन मूव किया था। (विघ्न) and the non-official day has been converted into official day.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ऐसी क्या एमरजेंसी आ गई थी कि नॉन-आफिशियल-डे को ओफिशीयल-डे में कंवर्ट किया गया। एमरजेंसी में तो ऐसा निर्णय लिया जा सकता है।

Mr. Speaker : Let me reply. आज नॉन-आफिशियल-डे में कोई बिजनैस नहीं था इसलिए इसको आफिशियल-डे में कंवर्ट कर दिया गया। (विघ्न) आप लोगों की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया तभी इसको कंवर्ट किया गया है। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, बिजनैस एडवाईजरी कमेटी में तो यह नॉन-आफिशियल-डे ही तय हुआ था। आप उस समय भी इसको आफिशियल-डे में कंवर्ट कर सकते थे। (विघ्न)

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : बिजनैस एडवाईजरी कमेटी में नॉन-आफिशियल-डे इसलिए रखा गया था कि शायद किसी सदस्य का कोई प्रस्ताव आ जाये। जब नहीं आया तो इसको आफिशियल-डे में कंवर्ट कर दिया गया (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह तो विधान सभा सैक्रेटेरीयेट को पता होना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है। रही बात बाद में आने की अगर कोई ऐसा प्रावधान है, तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूं। (विघ्न)

श्री बंसी लाल : हां, ऐसा प्रावधान है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : पार्लियामैंटरी अफेयर्ज़ मिनिस्टर साहब बतायें।

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री जगन्नाथ) : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की सभी असैम्बलीज़ में प्रावधान है कि अगर विपक्ष की तरफ से 15 दिन के अन्दर कोई प्रस्ताव नहीं आये तो नॉन-आफिशियल-डे को आफिशियल-डे में कंवर्ट किया जा सकता है। इनकी तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए था। (विघ्न)

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, 15 दिन के अन्दर प्रस्ताव आ जाये तो ठीक है नहीं तो नॉन-आफिशियल-डे को आफिशियल-डे में कंवर्ट किया जा सकता है with the concurrence of the Minister concerned. That is in the Rule.

श्री अध्यक्ष : आप एक सैकिण्ड बैठिये। चौधरी साहब मैं आपका संशय मिटा देता हूं फिर बात करेंगे। पहले आप बैठिये। I am quoting Rule 171 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly. It is mentioned—

"171. A member other than a Minister who wishes to move resolution shall give not less than fifteen clear days notice of his intention and shall submit, together with the notice, the text of the resolution which he wishes to move;

Provided that the Speaker, with the consent of the Minister to whose department the resolution relates, may allow it to be entered on the list of business with shorter notice than fifteen days."

It is provided in the Rules.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, पार्लियामैंटरी अफेयर्ज़ मिनिस्टर कह रहे थे कि विपक्ष की तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं आया। कृपया आप उन्हें जरा बताएं कि विपक्ष की तरफ से न सही, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग तो ऐसा प्रस्ताव रख सकते हैं, इनको तो कोई दिक्कत नहीं है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, मेरी बात सुनिए। मैंने तो पहले ही कह दिया है कि न सत्ता पक्ष की तरफ से और न ही विपक्ष की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव आया। Then there was no way out. Thereafter, the Parliamentary Affairs Minister moved a motion when you were not in the House.

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जिस दिन सैशन शुरू हुआ, उस दिन बी०ए०सी० की मीटिंग आपने बुलाई थी। उस मीटिंग में आपने 22 तारीख तक का प्रोग्राम तय किया था। आप बहुत सीनियर मैंबर हैं। अब यह कहा जा रहा है कि 15 दिन पहले ऐसा नोटिस आना चाहिए। (विघ्न)

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंबर से कहें कि पढ़ना सीखें। रूल्ज ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस में इस बारे में नियम है। (विघ्न) क्या इस बारे में आपने कोई नोटिस दिया ?

श्री बीरेन्द्र सिंह : इन्हें 5 साल तक यहां पर बैठकर पढ़ाया है। (विघ्न)

श्री भजन लाल : इनको यहां पर पढ़ाया है, फिर भी ये सीखे नहीं। (विघ्न) मैं पढ़ा हुआ ना सही, लेकिन कहा जरूर हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि बी०ए०सी० की मीटिंग में यह तय हो गया था कि आज नॉन-आफिशियल-डे है, लेकिन आज आपने कह दिया कि आज आफिशियल-डे होगा। जैसे कि श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी कहा कि हाऊस के अंदर कम से कम यह बात तो आनी ही चाहिए थी। (विघ्न) यह बात हाऊस में नहीं आई। (विघ्न) जब हम वाक आऊट कर गए तो उसका नाजायज तरीके से फायदा उठाया गया। यह उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि चौधरी बंसी लाल जी कहा करते थे कि नॉन-आफिशियल-डे तो होना ही चाहिए। प्राइवेट मैंबर्ज़ को बोलने के लिए एक ही तो दिन है। (विघ्न) उस समय हमने आपकी बात मानी थी। अध्यक्ष महोदय, 4 दिन का तो प्रोग्राम था, उसको भी काटकर 3 दिन का करने जा रहे हैं। यह बड़े अफसोस की बात है।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि भजन लाल जी के राज में सैशन 4 दिन या 3 दिन का होता था लेकिन हमने 5 दिन का रखा है। ये तो डेढ़ बजे ही सैशन खत्म कर के चले जाते थे। अध्यक्ष महोदय, एक बात और है। आज जो ये इतना जोर दे रहे हैं, कुछ तो इनको अक्ल लड़ानी चाहिए कि इनकी तरफ से कोई प्रस्ताव तो आना चाहिए था। ये कुछ पढ़े-लिखे आदमियों को भी साथ रख रहे हैं। अगर नॉन-आफिशियल प्रस्ताव लिखकर 15 दिन पहले किसी ने लाया होता तो इंकार थोड़े ही किया जा सकता था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठ जाइए। मैं समय की कमी नहीं आने दूंगा। मैंने आप लोगों से बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि 15 दिन का नोटिस आ जाना चाहिए था। शॉर्टर नोटिस के लिए भी हम तैयार थे। लेकिन सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों की तरफ से हमारे पास कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं आया। उसके बाद the Parliamentary Affairs Minister moved a motion and that has been passed. उस समय किसी कारणवश आप लोग बाहर चले गए थे। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री राम विलास शर्मा) : स्पीकर सर, अभी चौधरी भजन लाल जी ने कहा कि यह प्रस्ताव सदन के अंदर नहीं आया। मैं इनको बताना चाहता हूं कि उस समय ये वॉक-आउट कर गये थे और उसके बाद फिर वापिस आ गए। सदन के यह मायने नहीं है कि ये अपनी मन-मर्जी से आएं। चूंकि सदन में इनकी रूचि नहीं थी, इसलिए ये कल वाक आउट कर गये थे। किसी भी माननीय सदस्य की तरफ से नॉन-आफिशियल-डे का प्रस्ताव सदन में नहीं था। न 15 दिन पहले के नोटिस का कोई प्रस्ताव था और न ही 15 दिन के बाद का था इसलिए आज के नॉन-आफिशियल-डे को आफिशियल-डे में कन्वर्ट करना पड़ा।

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर साहब, आज का नान-आफिशियल-डे आफिशियल-डे में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस बारे में हाऊस के नेता ने और पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर ने अपने-अपने तर्क रखे हैं। स्पीकर साहब, 1 नवम्बर, 1995 को हमारी पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के एक मुद्दे को ले कर हाऊस की मैम्बरशिप से रिजाईन दिया था। उस समय राम बिलास शर्मा और चौधरी बंसी लाल जी विरोधी पक्ष में थे और स्पीकर साहब, आप भी उस समय विरोधी पक्ष में थे। अध्यक्ष महोदय, 1996 में बजट सैशन आया। उस समय हम जो भी प्रस्ताव चर्चा में छोड़ कर गये थे, वह जारी थे। सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह उसके बारे में जांच पड़ताल करके हमें यह बात बताएं कि उनके बारे में क्या फैसला हुआ है ? आया उस पर डिस्कशन जारी है या वह खत्म हो गया अगर खत्म हो गया तो हम नया प्रस्ताव देते लेकिन हमें उसके बारे में पता ही नहीं है। स्पीकर साहब, पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर का यह दायित्व बनता है कि उस प्रस्ताव के बारे में ये बी०ए०सी० की मीटिंग में रखते और बताते कि क्या वह प्रस्ताव जारी है या खत्म हो गया और अगर वह खत्म हो गया तो कोई नया प्रस्ताव दिया जा सकता था। लेकिन अपने दायित्व को विरोधी पक्ष पर छोड़ कर, उससे बच नहीं सकते। मेरी गुजारिश है कि हमने उस बजट सैशन में जो प्रस्ताव जारी छोड़ा था, उसकी हमें कोई जानकारी नहीं थी कि वह जारी है या खत्म हो गया है और नया प्रस्ताव देना है।

श्री जगन्नाथ : आपको इस बारे में घर-घर जा कर हम नहीं बता सकते।

श्री धीरपाल सिंह : चौधरी साहब, घर-घर जा कर बताने की बात नहीं है लेकिन हमें उस प्रस्ताव के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए कि वह जारी है या खत्म हो गया और हमें नया प्रस्ताव देना जरूरी है। (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आपके माध्यम से कोई जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा है और कोई वेकायदगी आपके नोटिस में ला रहा है। उसको ठीक किया जा सकता है या नहीं, इसका जवाब आप देंगे या कोई भी इनका सदस्य खड़ा हो कर सीधा ही जवाब दे सकता है ? इस बारे में मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं।

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल) : स्पीकर साहब, इनके पास कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं है इसलिए ये इधर-उधर की बात कर रहे हैं।

श्री ओमप्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इनको इस तरह से बीच में बोलने का क्या अधिकार है ? अध्यक्ष महोदय, यदि आपसे कोई बात पूछी जाए तो उसका आप जवाब देंगे या इनकी तरफ से कोई भी सदस्य खड़ा हो करके, उसका जवाब सीधा दे सकता है। आप इनको कंट्रोल करें। चौधरी धीर पाल जी ने एक बड़ा अहम विषय आपके नोटिस में लाने का प्रयास किया है कि उस समय जो प्रस्ताव विचाराधीन था, क्या उसके बारे में कोई निर्णय हो पाया है या नहीं ? जो प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन रहा हो और उसका कोई निर्णय न हुआ हो, क्या वह प्रस्ताव रद्द करके एक नया प्रस्ताव दिया जा सकता है ? मैं आपसे इस बारे में रूलिंग चाहूंगा।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि जो कुछ हुआ है, वह कायदे कानून के हिसाब से हुआ है। कायदे कानून के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। हाऊस में कल मोशन मूव हुआ और वह कल पास हुआ। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप आज हाऊस का बिजनैस चलायें। इनका तो टाईम वेस्ट करने का काम है। (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है। (शोर)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है। (शोर)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। आप हमारी बात सुनें। (शोर) Please allow me to speak.

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, मैंने कई बार आपसे निवेदन किया है कि आप पुराने मैम्बर हैं और मिनिस्टर भी रह चुके हैं। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि जब स्पीकर खड़ा हो तो आपको बैठ जाना चाहिए। (शोर) अगर आप इस तरह से बोलते रहेंगे तो कोई बात नहीं सुनी जायेगी। I would not allow you to disturb. अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिये। कल सारे विपक्ष के सदस्य चले गये थे। पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर ने मोशन मूव किया था that the non-official-day may be converted into official-day. That has been done. Now the question comes to an end. Now I take up the busisness fixed for today.,

बिल्ज़-

(i) दि पंजाब एक्साइज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1996

Mr. Speaker : Now the Excise & Taxation Minister will introduce the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill, 1996. He will also move the motion for its consideration.

श्री भजन लाल : आन ए प्वांयट ऑफ आर्डर । (शोर)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप का तो काफी लम्बे समय से हाऊस का मैम्बर होने का कैरियर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि प्वायंट ऑफ आर्डर पर कब खड़ा होना चाहिए। यदि न पता हो तो आपके पास किताब होगी, उसमें देखें।

सहकारिता तथा श्रम मंत्री (श्री गणेशी लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं दि पंजाब एक्साईज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1996 को प्रस्तुत करता हूं। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि----

दि पंजाब एक्साईज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल पर तुरंत विचार किया जाये।

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर साहब, मेरा एक यह व्यवस्था का प्रश्न है। (शोर)

श्री भजन लाल : आन ए प्वायंट ऑफ आर्डर , सर। (शोर)

श्री अध्यक्ष : बिल का मोशन मूव हो चुका है। कोई जो सदस्य बोलना चाहे, वह बोल सकता है। (शोर)

श्री भजन लाल : मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : आप मुझे कोई एक रूल बता दें कि स्पीकर जब कोई मोशन मूव कर दे तो फिर किसी दूसरे विषय पर चर्चा हो सकती है ? आप कोई रूल कोट करें।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर साहब, आप मुझे बोलने की इजाजत दें।

(इस समय बहुत से विपक्षी माननीय सदस्य खड़े हो गए)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आपको सदस्यों की बात सुननी चाहिए। यह एक व्यवस्था का प्रश्न है। (शोर) यह हाऊस की गरिमा का सवाल है। सदस्यों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। यह तो सारे सदन की अवहेलना हो रही है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : आप सभी सदस्य बैठिये। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि प्वायंट ऑफ आर्डर कब किया जाता है। मैं आपको रूल पढ़ कर सुना देता हूं। (शोर) चौधरी भागी राम जी, आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्वायंट ऑफ आर्डर पर कुछ कहना चाहता हूं । (विघ्न एवं शोर)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, प्वायंट ऑफ आर्डर पर ही मैं खड़ा हूं, परन्तु आप मुझे बोलने के लिए अलाऊ नहीं कर रहे हैं। (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, पिछली असैम्बली में श्री मनी राम केहरवाला का प्रस्ताव चल रहा था और इस समय वे इस असैम्बली के सदस्य नहीं है। इसलिए वह प्रस्ताव अपने आप विदड्रा हो जाता है। (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : जहां तक पिछले प्रस्ताव की बात है उसका जवाब यह है - That matter comes to an end because that Member is not a Member of the House. दूसरे प्वायंट ऑफ आर्डर की बाबत मैं रूल पढ़ कर सुना देता हूं। (विघ्न एवं शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर सर, प्वायंट ऑफ आर्डर पर आप हमें अलाऊ नहीं कर रहे हैं लेकिन राम बिलास जी जब चाहें खड़े हो कर बोलना शुरू कर देते हैं। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। इनसे पूछिये कि ये किस बात पर बोल रहे हैं ? (विघ्न एवं शोर)

श्री भजन लाल : स्पीकर साहब, आप प्वायंट ऑफ आर्डर सुन कर यह कह सकते हैं कि यह प्वायंट ऑफ आर्डर नहीं है। (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : ओम प्रकाश जी, आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिये।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि कितने अच्छे माहौल में हाऊस चल रहा है। मैं आपकी दरियादिली की दाद देता हूं। सदन में सभी सदस्यों को आपको एक निगाह से देखना चाहिए। मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि जो प्रस्ताव हाऊस के विचाराधीन था, वह अब भी विचाराधीन रहेगा, या वह पास हो गया ? (विघ्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष : हाऊस को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए सत्ता पक्ष के माननीय विधायकों से मेरा निवेदन है कि वे अपने आप को कंट्रोल करें और विपक्ष के माननीय विधायकों से भी निवेदन है कि वे अपने आपको कंट्रोल कर के रखें। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर साहब, मैं आपसे जानना चाहता था कि जो प्रस्ताव विचाराधीन था वह पास हुआ है या रद्द हो गया है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप हाऊस को लीडर ऑफ दी हाऊस के मुताबिक चलाएंगे या आप हाऊस की कार्यवाही इन रूल्ज के तहत करेंगे ? मेरी बात का जवाब अब तक नहीं आया है। (विघ्न) इस बात में "कुर्सी" की गरिमा का भी सवाल है और हाऊस की गरिमा का भी सवाल है। (विघ्न एवं शोर)

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, कल इनके सदन से जाने के आधे-पौने घंटे बाद यह प्रस्ताव लाया गया था और कल का बिजनैस पास हो गया था। जब यह प्रस्ताव लाया गया था, इनकी ओर से कोई मैम्बर हाऊस में नहीं था। स्पीकर सर, हाऊस में अब हम इनकी धक्केशाही नहीं चलने देंगे, हमारा भी यही फैसला है। (थम्पिंग)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर सर, मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब नहीं आया है। नॉन-ऑफिशियल-डे को ऑफिशियल-डे में कन्वर्ट कर दिया गया है। मेरा प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव पहले सदन के विचाराधीन था यानि जो नॉन-ऑफिशियल प्रस्ताव चल रहा था, उसका क्या हुआ ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आप अपनी सीट पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Ram Bilas Sharma : When the Assembly dissolves, the pending business automatically lapses.

श्री अध्यक्ष : आप सब बैठ जाएं। बहन जी, आप बैठ जाएं। यह बहुत ही बदकिस्मती रही कि आप मंत्री रहीं और अपनी बात कहने का तरीका भी पता नहीं है।

श्रीमती करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, हमने बिजली के रेट बढ़ाने के बारे में प्रस्ताव दिया हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह कोई जीरो आवर नहीं है। जीरो-आवर तो खत्म हो चुका है।

श्री भजन लाल : जीरो आवर शुरू ही नहीं हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सब बैठ जाएं। जीरो-आवर खत्म हो चुका है। रैजोल्यूशन पढ़ा गया है। (शोर एवं व्यवधान) यह रूल में प्रोवीजन है कि जब असैम्बली डिजौलव हो जाती है, तो सारे रैजोल्यूशन ऑटोमैटिकली खत्म हो जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, हम उसका बहुत आदर करते हैं। आपका सम्मान करते हैं। आपका ऐक्शन सबके लिए बराबर का होना चाहिए। आप अब सत्ता के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। किसी पार्टी के नहीं है। इसलिए आप सबकी बात सुनें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री गणेशी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में कोई विशेष चर्चा नहीं करूंगा इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल को पास कर दिया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Spaker : Question is—

That the Punjab Excise (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 5

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 6

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 7

Mr. Speaker : Question is-

That Clause 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

नियम 104 का निलम्बन तथा सदन की सेवा से सदस्य का निलम्बन

11.00 बजे (At this stage the members of the Samata Party rose to speak and there was a great noise in the House)

Shri Om Parkash Chautala : Speaker, Sir.....(Noise & Interrputions).

Mr. Speaker : Ch. Om Parkash Chautala, kindly resume your seat.(Noise & Interruptions)

Shri Dhir Pal Singh : Mr. Speaker, Sir.....(Noise & Interruptions).

Mr. Speaker : I request you all to please take your seats. (Noise & Interruptions)

Shri Om Parkash Chautala : Speaker, Sir.....(Noise & Interruptions).

Mr. Speaker : Chautala Sahab, please take your seat. I warn you.

(At this stage, all the members from the Samata Party rose in their seats and started shouting slogans and threw bundles of papers towards the Chair)

Mr. Speaker : I warn you. Kindly take your seats. (Noise & Interruptions)

(The Samata Party Members continued shouting slogans)

Development and Panchayats Minister (Shri Jagan Nath) :Sir, I beg to move—

That Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the House be suspended in its application to the motion regarding suspension of Shri Om Parkash Chautala, M.L.A.

Mr. Speaker : Motion moved—

That Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the House be suspended in its application to the motion regarding suspension of Shri Om Parkash Chautala, M.L.A.

Mr. Speaker : Question is—

That Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the House be suspended in its application to the motion regarding suspension of Shri Om Parkash Chautala, M.L.A.

The motion was carried.

(At this stage also all the members of the Samata Party remained shouting slogans in the House and kept standing in their seats and there was a din in the House.)

Mr. Speaker : Mr. Chautala, I warn you. (Noise & Interruptions). Now I request the Development and Panchayats Minister to move the motion for the suspensation of Shri Om Parkash Chautala, M.L.A.

Development and Panchayats Minister (Shri Jagan Nath) : Sir, I beg to move—

That Shri Om Parkash Chautala, M.L.A. be suspended from the service of the House for the remainder of the Session for his misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the member of this august House and his grossly disorderly conduct in the House.

Mr. Speaker : Motion moved—

That Shri Om Parkash Chautala, M.L.A. be suspended from the service of the House for the remainder of the Session for his misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the member of this august House and his grossly disorderly conduct in the House.

Mr. Speaker : Question is—

That Shri Om Parkash Chautala, M.L.A. be suspended from the service of the House for the remainder of the Session for his misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the member of this august House and his grossly disorderly conduct in the House.

The motion was carried

बैठक का स्थगन

(At this stage the Speaker repeatedly requested Shri Om Parkash Chautala, to withdraw from the House. There was grave disorder in the House and Shri Om Parkash Chautala did not withdraw from the House.)

Mr. Speaker : I adjourn the House for 15 minutes.

(The Sabha then adjourned at 11.04 a.m. and re-assembled at 11.19 a.m.)

(At this stage Shri Om Parkash Chautala was present in the House)

श्री अध्यक्ष : श्री ओम प्रकाश चौटाला जी मेरा निवेदन है कि हाऊस के डिसीजन के हिसाब से he should leave the House. Motion suspending Shri Om Parkash Chautala has been carried. Therefore, he should withdraw from the House.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, * * * * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : ओम प्रकाश चौटाला जी जो कुछ कहें, उसे रिकार्ड न किया जाए। मेरी ओम प्रकाश चौटाला जी से नम्र निवेदन है कि हाऊस का डिसीजन है। हाऊस का डिसीजन मान्य होता है। इसलिए मेरी उनसे दर्खास्त है कि वे बाहर जाएं।

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री धीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह अधिकार केवल आपका है। मेरा आपसे गुजारिश है कि पार्लियामैंट के अंदर दूर-संचार के मामले में एक हफ्ते तक पार्लियामैंट स्थगित होती रही और वहां के विरोधी पक्ष के नेता कई बार स्पीकर की चेयर के सामने और चेयर तक भी गए लेकिन उन्हें इस प्रकार सस्पैंड नहीं किया गया। पार्लियामैंट में जो परिपाटी बनी हुई है, हमें उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप विरोधी पक्ष में थे और ये लोग कांग्रेस में थे, उनकी देखा-देखी में ही यह परिपाटी यहां पर डाली जा रही है। आज विरोधी पक्ष के नेता प्वायंट ऑफ आर्डर के माध्यम से कुछ कहना चाहते थे, तो उस पर जो हंगामा हुआ है, वह काफी दुखद है। आप हाऊस के मास्टर हैं। आप हमारे सर्वेसर्वा हैं। इसलिए हम आपसे बार-बार गुजारिश करेंगे और आप पर हमारा पूर्ण रूप से विश्वास है और भरोसा भी है। स्पीकर साहब, पार्लियामैंट में दूरसंचार के मुद्दे पर सारा देश देख रहा था कि वहां 10 दिन तक कार्यवाही स्थगित होती रही लेकिन किसी को नेम नहीं किया गया, किसी को सस्पैंड नहीं किया गया। आप जैसे शिक्षाविद के स्पीकर होते हुए यहां ऐसी परम्पराओं को जन्म दिया जा रहा है। (विघ्न) आपके होते हुए ऐसी परम्पराएं यहां डाली जाएंगी, यह उचित नहीं है। आज यहां जो अनहोनी बात कही गई है उसको वापस लिया जाए। ओम प्रकाश चौटाला जी विरोधी पक्ष के नेता हैं। वे आपकी परमीशन से अपनी बात कहने का प्रयास कर रहे थे। हम आपकी इजाजत के बिना कोई कदम नहीं उठाते। मंत्री की अपनी हैसियत है। लेकिन मंत्री और विधायक में बड़ा भारी अंतर है। मंत्री पर अधिक जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन यहां जो मैम्बर्ज ट्रेजरी बैंचिज पर बैठे हुए हैं, आपके आदेशों की अवहेलना करते हुए जिस ढंग से इन्होंने बार-बार प्वायंट ऑफ आर्डर का प्रयोग किया वह गलत है। अध्यक्ष महोदय, मैं कोई गुस्ताखी नहीं करूंगा लेकिन किस ढंग से चर्चा हुई और किस ढंग से ट्रेजरी बैंचिज पर बैठे हुए विधायकों ने अवहेलना की इस बारे में मेरी आपसे गुजारिश है कि परम्पराओं को कायम रखा जाए।

Mr. Speaker : Dhirpal ji, please take your seat. Motion regarding suspension of Shri Om Parkash Chautala has already been carried and he should withdraw from the House first.

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, बड़ी चिंताजनक और खेदजनक बात है कि पिछली 18 तारीख से यह सदन चल रहा है और कोई अवसर ऐसा नहीं आया कि जहां पर आपकी उदारता का परिचय नहीं मिला हो। ऐडजर्नमैंट मोशन जैसे महत्वपूर्ण मामले में भी आपने फैसला विपक्ष के नेता पर छोड़ा। (विघ्न)

Mr. Speaker : I would request the Members to please listen to the Education Minister.

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, हमने भी आपके आदेश की पालना की। (विघ्न) कोई नया मैम्बर इस तरह का व्यवहार करे, तो बात और है या फिर किसी सदस्य के सवाल का जवाब न आए तो बात दूसरी है सरकार की निंदा करना इनका काम है, परन्तु हर बार चेयर पर कोई न कोई ऐसपर्शन कास्ट करें और सीमा तो यह तब लांघ गये जब कागजों का बंडल आप पर फेंका गया। स्पीकर सर, इससे कोई बहादुरी शो नहीं होती। स्पीकर सर, सदन की कोई न कोई मर्यादा तो होनी चाहिए। हमारे साथी चौधरी धीरपाल जी कह रहे थे कि हम जिम्मेवारी का अहसास करते हैं और सदन से निकालने का यहां कोई मुद्दा ही नहीं था। मुद्दा यह था कि चौधरी ओमप्रकाश चौटाला कह रहे थे कि पिछले सदन में यानि पिछली विधान सभा के टैन्योर में नॉन ऑफिशियल-डे का एक रैजोल्यूशन रखा गया था और मनीराम केहरवाला का वह प्रस्ताव था। सभी सदस्यों की जानकारी के लिए पढ़कर सुनाया गया था कि Every pending

thing dissolves with the dissolution of the Assembly. It is an established Law. उसके बाद भी किस तरह से माननीय साथी विधायक आगे तक आकर हंगामा करें और सदन की कार्यवाही में बाधा डालें और स्पीकर की चेयर की मर्यादा न रखें तो यह हरियाणा की जनता के साथ धोखा है। सदन की कितनी महत्वपूर्ण कार्यवाही होती है, कितना पैसा खर्च होता है ? स्पीकर सर, आप देखते हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ से कोई भी एम०एल०ए० या दूसरे साथी किसी प्रकार का हस्तक्षेप करता हो, तो आप कह सकते हैं। लेकिन विपक्ष के साथी सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। आपकी बड़ी जिम्मेवारी है। हरियाणा की जनता का फैसला है। यह न मेरे बस की बात है, न इनके । सब की सहमति से आपका चुनाव हुआ था। इसलिए इनको कम से कम चेयर की मान-मर्यादा का तो ख्याल होना चाहिए और सदन की गरिमा को बनाये रखना चाहिए। (विघ्न).

श्री अध्यक्ष : बैठिये, प्लीज, आप बैठिये। भजन लाल जी आप बोलिये।

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत ही गलत डिसीजन लिया है इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसको वापस लिया जाये। विपक्ष का कोई भी सदस्य प्वायंट ऑफ आर्डर के लिए खड़ा होता है तो आप बगैर उसकी बात सुने ही उसे बैठा देते हैं। आपको कम से कम उसकी बात तो सुननी चाहिए, उसके बाद ही बैठने को कहना चाहिए। कम से कम यह तो देखना चाहिए कि यह प्वायंट ऑफ आर्डर है कि नहीं। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। यह मुनासिब बात नहीं लगती है। दूसरा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को आपने बगैर नेम किए ही हाऊस से बाहर जाने के लिए कह दिया। आपको पहले उन्हें नेम करना चाहिए था या वार्न करना चाहिए था। (विघ्न) मैंने सुना है कि चौधरी बंसी लाल जी पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर को चौटाला साहब को हाऊस से निकालने के लिए कह रहे थे। यह मैंने अपने कानों से सुना है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। यह तो हो सकता है कि आपने सुना नहीं हो या सुनाई नहीं दिया हो लेकिन I have said two times that I warn you. यह नहीं हो सकता कि मैंने वार्न नहीं किया हो। मैंने पहले उनको वार्न किया है। (विघ्न).

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह हो सकता है कि हमारा और चौटाला साहब का आपस में विचारों में मतभेद हो। लेकिन यह सदन की गरिमा का सवाल है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, यह बीच में बोलते हैं। हमें बोलने नहीं देते। आप इनको रोकिये।

Mr. Speaker : I request the members of the Treasury side to please listen to him.

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहूंगा कि आपने यह बहुत ही कड़ा डिसीजन लिया है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यह डिसीजन वापिस लिया जाये और चौधरी ओम प्रकाश चौटला जी को हाऊस में बोलने का मौका दिया जाये और हाऊस में बैठने का मौका दिया जाये वरना यह एक गलत परम्परा पड़ जायेगी आपके होते हुए ऐसा नहीं होने दिया जाना चाहिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप बहुत पुराने एम०एल०ए० तथा एम०पी० रहे हैं तथा बहुत पुराने पार्लियामैंटेरियन हैं। (विघ्न) इसलिए you should address the chair.

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो फैसला लिया गया है, यह बहुत गलत है। यह सारे प्रदेश के लिए और इस हाऊस के लिए एक गलत परंपरा हो

[श्री भजन लाल]

जाएगी। यो जो मेजोरिटी के बलबूते पर इधर बैठे हुए हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं है क्योंकि आप एक अच्छे इन्सान हैं, पढ़े-लिखे हैं तथा विपक्ष में रहे हुए हैं। आपको हर बात का ज्ञान है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सभी को एक ही नजर से देखिए, आपकी मेहरबानी होगी। लेकिन आपकी नजर में कुछ फर्क लगता है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, चाहे बेशक आप मुझे भी बाहर निकाल दें लेकिन जो बात सही है, वह मैं जरूर कहूंगा। इसलिए कृपा करके श्री ओम प्रकाश चौटाला जी को यहाँ बैठने की इजाजत दें।

Mr. Speaker : Mr. Om Parkash Chautala has been suspended. (Interruptions). भजन लाल जी और धीरपाल जी के जो विचार थे, वे इन्होंने हाऊस में रखे। अब मोशन कैरी हो चुकी है। Now you cannot speak about Shri Om Parkash Chautala. He has been suspended. (Thumping). हाऊस का एक डिसीजन है, जिसके तहत उनको सस्पैंड किया जा चुका है उसको बदलना उचित या संभव नहीं है। हां, अगर हाऊस की तरफ से कोई मूव आए तो बात अलग है। He has been suspended and he will have to leave the House. अतः मेरी माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश चौटाला जी से प्रार्थना है कि वे कृपा करके हाऊस से बाहर चले जाएं। (शोर एवं व्यवधान) रमेश कुमार जी, आप बैठिए। (शोर) आप सब लोग बैठिए। (शोर)

श्री रमेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, अगर विपक्ष अपनी बात हाऊस में कहना चाहता है तो उसको भी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल) : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो डियूली कांस्टीट्यूटिड हाऊस के मैम्बर्ज हों, वे तो बैठे रहें, बाकी को यहां बैठने का कोई अधिकार नहीं है। उनको इवेक्यूएट किया जाए। (शोर)

श्री अध्यक्ष : एक बार फिर मेरी ओम प्रकाश चौटाला जी से प्रार्थना है कि वे हाऊस से बाहर चले जाएं। (शोर) Shri Om Parkash Chautala should withdraw from the House as he has been suspended. (Noise)

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : स्पीकर सर, यह हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में विपक्ष के नेता तथा उसके साथियों को साथ लेकर ही सरकार द्वारा काम किया जाता है। (शोर)

श्री रमेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह सरासर अन्याय है। यह गलत प्रथा कायम करना प्रदेश के हित में नहीं होगा। (शोर)

श्री धीर पाल सिंह : स्पीकर सर, आप बहुत गलत काम कर रहे हैं। यह न्यायोचित नहीं है। यह डैमोक्रेसी का दमन है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : मैंने विपक्ष भी देखा है। मैं विपक्ष में भी रहा हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि रूल, रूल है। अतः आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी से मेरा निवेदन है कि हाऊस से बाहर चले जाएं। (शोर)

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : अध्यक्ष महोदय, यह भी तो रूल है कि हर मैम्बर को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। (शोर) स्पीकर साहब, हाऊस में इनकी तानाशाही नहीं चलेगी। हम कहते हैं कि ट्रेजरी बैंचिज वालों को सस्पैंड किया जाए। (शोर)

श्री रमेश कुमार : स्पीकर साहब, हाऊस में इनकी डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। (शोर)

श्री अध्यक्ष : रमेश कुमार जी आप दूसरी बार चुन कर आए हैं इसलिए आपको तो बोलने का पता होना चाहिए कि कैसे बोलना है। मेरा एक बार फिर श्री ओम प्रकाश चौटाला से नम्र निवेदन है कि he should withdraw from the House.

श्री रमेश कुमार : नहीं जी, चौटाला साहब हाऊस से बाहर नहीं जाएंगे। (शोर)

Mr. Speaker : Mr. Ramesh Kumar, you cannot speak like this. I request Shri Om Parkash Chautala to withdraw from the House.

श्री रमेश कुमार : स्पीकर साहब आप इस तरह से हमें न धमकाएं। (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : * * * * * * * * (शोर)

Mr. Speaker : Mr. Ramesh Kumar, you are you are nobody to say like this. Shri Om Parkash Chautala is under suspension, nothing said by him should be recorded.

श्री रमेश कुमार : स्पीकर साहब, आप हमारी बात को दबा नहीं सकते। (शोर)

श्री अध्यक्ष : रमेश कुमार जी, इस तरह जोर से बोलने का क्या फायदा है ? (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : * * * * * * * * (शोर)

श्री अध्यक्ष : चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, आप मेरी बात को ध्यान से सुन लें। रूल्ज मैंने आप से नहीं सीखने मैं तो रूल्ज के हिसाब से चलूंगा। (शोर)

श्री रमेश कुमार : यदि आप रूल्ज के हिसाब से चलते तो इस बिल पर चर्चा हो सकती थी।

श्री अध्यक्ष : मैं तो रूल्ज के हिसाब के चल रहा हूं। आप ही रूल्ज के हिसाब से नहीं चलते हैं।

श्री रमेश कुमार : स्पीकर साहब, आप से हमारा निवेदन है कि चौटाला साहब के खिलाफ जो मोशन लाई गई है, वह विदड्रा होनी चाहिए। (शोर) आप हमें बोलने का मौका दें।

श्री अध्यक्ष : मैंने हाउस शुरू होते ही यह कहा था कि सदस्यों को बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा । किसी को बोलने से नहीं रोका जाएगा। सभी माननीय सदस्य अपनी-अपनी बात कह सकते हैं। समय का कोई अभाव नहीं है। मेरा लीडर ऑफ दि अपोजीशन से एक बार फिर नम्र निवेदन है कि he should withdraw from the House.

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : हमारी भी आपसे रिक्वैस्ट है कि आप इस मोशन का विद ड्रा करें। (शोर)

श्री अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य एक बार हाऊस से सस्पैंड कर दिया गया है, पहले he should withdraw from the House.

Shri Birender Singh : You are right Sir, He should first withdraw from the House.

---

* Not recorded as ordered by the Chair.

श्री अध्यक्ष : आप सब एक बार बैठ जाएं। बोलने का सभी को मौका दिया जाएगा, लेकिन पहले मैं एक बार फिर लीडर ऑफ दि अपोजिशन से निवेदन करूंगा कि be should withdraw from the House.

Dr. Virender Pal Ahlawat : Mr. Speaker, Sir, he should not be suspended in a democratic system. When we are following that system.

श्री अध्यक्ष : मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि बार-बार रिक्वैस्ट करने के बाद भी लीडर ऑफ दि अपोजिशन हाऊस के बाहर नहीं जा रहे हैं। मैं एक बार फिर उनसे रिक्वैस्ट करता हूं कि वह हाऊस से बाहर चले जाएं। (शोर)

Dr. Verender Pal Ahlawat : Mr. Speaker, Sir * * * * * * *

Mr. Speaker : Nothing to be recorded without my permission. मैंने बार-बार निवेदन किया है कि आदरणीय चौटाला साहब को हाउस से निकाला जा चुका है इसलिए वे हाउस से बाहर चले जायें। मैं फिर विनती करता हूं कि वे हाउस से चले जायें। मैं फिर मौका देता हूं कि वे हाउस से चले जाएं। मेरे बार-बार निवेदन करने पर भी आदरणीय चौटाला साहब बाहर नहीं जा रहे इसलिए मैं हाउस को आधे घंटे के लिए एडजर्न करता हूं।

(The Sabha then adjourned at 11.40 a.m. and re-assembled at 12.10 p.m.)

(At this stage also Shri Om Parkash Chautala was present in the House.)

Mr. Speaker : I again request Mr. Om Parkash Chautala to withdraw from the House honourably.

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट के लिए अपनी बात कहना चाहता हूं (विघ्न एवं शोर)

Mr. Speaker : No, आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न एवं शोर)

श्री धीर पाल सिंह : स्पीकर सर, यह हाउस की मर्यादा की बात है। (विघ्न)

(इस समय कई सदस्य अपनी सीटों पर बोलने के लिए खड़े हो गए)

श्री अध्यक्ष : आप सभी लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठें और मेरी बात सुनें (विघ्न) भजन लाल जी, आप भी अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न) मैंने आपको बोलने का मौका दे दिया है, धीर पाल जी को भी मौका दे दिया है (विघ्न)

श्री भजन लाल : स्पीकर साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं (व्यवधान व शोर)

Mr. speaker : Bhajan Lal Ji, it is very bad that you are standing. (Interruptions) I request Sh. Om Parkash Chautala to leave the House.

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर साहब, इसके अलावा भी एक बात है। (व्यवधान व शोर) यह हाउस की मर्यादा की बात है। (व्यवधान व शोर)

श्री अध्यक्ष : मैंने श्री भजन लाल जी की बात सुन ली और समता पार्टी के अध्यक्ष की भी बात सुन ली है। हाउस में रैजोल्यूशन हो गया है Now, Shri Om Partkash Chautala will have to leave the House. (Interruptions & Noises)

(इस समय बहुत से सदस्य एक साथ बोलने लगे)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

डॉ० वीरेन्द्र पाल अहलावत : * * * * * * * *

श्री रमेश कुमार : * * * * * * * *

श्री मनी राम : * * * * * * * *

श्री धीर पाल सिंह : * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : आपको पूरा अधिकार है लेकिन आपको यह अधिकार नहीं है कि आप दूसरों के अधिकारों का हनन करें। (शोर एवं व्यवधान) मैंने एक बार नहीं, दो बार मौका दिया है। हम सबने यहां पर देखा है कि क्या हुआ है। मैं यह नहीं चाहता कि यहां पर लोकतांत्रिक प्रथाएं टूटें।(शोर एवं व्यवधान) मैं एक बार फिर ओम प्रकाश चौटाला जी से प्रार्थना करता हूं कि वे स्वस्थ परम्परा रखने के लिए हाउस से बाहर चले जाएं। (शोर एवं व्यवधान) मैं 20 मिनट के लिए एक बार फिर हाउस को एडजर्न करता हूं और ओम प्रकाश चौटाला जी से कहता हूं कि वे हाउस से बाहर चले जाएं ताकि हाउस की कार्यवाही चल सके।

(The Sabha then adjourned at 12.15 p.m. and re-assembled at 12.35 p.m.)

श्री ओम प्रकाश चौटाला के निलम्बन संबंधी मामले पर चर्चा

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप अभी बैठिए। (विघ्न) चौधरी साहब, आप बैठिए। आपका प्वायंट ऑफ आर्डर तो तब होगा जब कोई बात शुरू होगी। आप प्वायंट ऑफ आर्डर को पढ़ लीजिए कि उसमें क्या लिखा है।

श्री भजन लाल : यह पढ़ते हुए मुझे तीस साल हो गये हैं। आप हमारी बात तो सुनें। आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं। अगर आप हमें बोलने की परमिशन नहीं देंगे तो हम किससे परमिशन लेंगे। (विघ्न)

श्री राम विलास शर्मा : स्पीकर सर, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि सरकार की अपनी एक जिम्मेदारी है और आपने 18 तारीख से कितनी शालीनता से यानि कितनी प्रेस से इस हाउस को चलाया है और विपक्ष के नेता के कहने से आपने हर प्रस्ताव पर इजाजत दी है लेकिन आज चेयर पर एक्सपर्शन करने वाली बात तो अलग रही, आज तो उन्होंने सारी मर्यादा तोड़ दी। कागज के बंडल बनाकर आपकी तरफ फेंके। आज आपने लगभग दस बार आन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस उनको हाउस से बाहर जाने के लिए कहा लेकिन वे नहीं गये। स्पीकर सर, हाउस चलाने का भी एक प्रोविजन है। जब आपने अपनी एक व्यवस्था दे दी, एक रूलिंग दे दी तो हम सब उसको मानने के लिए बाउंड हैं। हम आपकी दी हुई व्यवस्था का परिपालन करें, यह इस सदन की एक पुरानी परिपाटी है जो कि लिखित में भी है और परम्पराओं पर भी आधारित है। आज आपने दस बार उनसे बड़े विनम्र स्वभाव से प्रार्थना की कि वे आपकी दी हुई व्यवस्था का पालन करें और सदन से चले जाएं लेकिन वे नहीं गये। स्पीकर सर, ऐसा तो कभी भी आज तक नहीं हुआ। इस सदन में बहुत से माननीय सदस्य ऐसे बैठे हुए हैं जो कई बार चुनकर आए हैं। उनको भी पता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। स्पीकर सर, कई बार सदन में उत्तेजना का वातावरण भी बनता है। कई बार उत्तेजना भी आ जाती है परन्तु इस तरह से कभी नहीं हुआ जैसा

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री राम बिलास शर्मा]
आज उन्होंने किया। आज आपने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन-तीन बार सदन को एडजर्न किया और तीनों बार आपने माननीय सदस्य को व्यवस्था का पालन करने का अवसर दिया। लेकिन अगर उसके बाद भी ये लोग वाच एंड वार्ड स्टाफ के सदस्यों से हाथापायी करें मारापीटी करें तो यह बहुत ही खेदजनक बात है। कर्मधारी तो कर्मचारी होते हैं लेकिन अगर जनप्रतिनिधि उनसे मार पीट पर उतर आएं, तो यह बहुत ही दुखदायी बातें हैं। मैं माननीय सदस्यों की निन्दा की बात नहीं कर रहा हूं। बल्कि आज तक जो सदन की एक परम्परा रही है, उसकी बात कर रहा हूं। (विघ्न)

श्री कृष्ण लाल : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : आप अभी बैठिये।

श्री कृष्ण लाल : सर, प्वायंट ऑफ आर्डर पर खड़े होना मेरा अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : यह अधिकार की बात नहीं है But I would not allow you in such a way. Please take your seat.

श्री बलवन्त सिंह : बोलना तो हमारा अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : कोई अधिकार नहीं है। यह तो आप सब जानते हैं और मैं भी जानता हूं। (विघ्न) अजय सिंह आप तो किताब दिखा रहे हैं, वह मैंने भी पढ़ी हैं। आप सभी बैठिए और राम बिलास जी को अपनी बात पूरी करने दें। (विघ्न)

श्री जसविन्द्र सिंह संधु : अध्यक्ष महोदय, आपने धीर पाल जी को भी नहीं बोलने दिया, भजन लाल जी को भी प्वायंट ऑफ आर्डर पर नहीं बोलने दिया और न ही अब आप कृष्णपाल जी को बोलने का टाईम दे रहे हैं। फिर हम कब बोलेंगे (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्मा : सर, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप सभी बैठिए। राम बिलास जी को अपनी बात कहने दें। जसविन्द्र जी, आप भी और मैं भी इस हाउस के मैम्बर थे और उस समय जो कुछ मैंने और आपने देखा है, उसे कहने की जरूरत नहीं है। मैंने सदस्यों को बोलने का बहुत समय दिया है। मैं तो आज यह सोच कर आया था कि चाहे रात के दस बजे जाएं लेकिन मैम्बर्ज को पूरा बोलने का अवसर दूंगा। I would not allow you to speak like this. अब शर्मा जी को अपनी बात पूरी कर लेने दें।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, मैं किसी को कोई नसीहत नहीं देना चाहता। मैं तो बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं क्योंकि यह हरियाणा की जनता का महान सदन है और वे लोग हम सबके व्यवहार को देख रहे हैं इसलिए अगर यहां पर ऐसी कोई बात हो, तो वह ठीक नहीं है। उन्होंने एक साधारण सी जानकारी मांगी और उसकी विधिवत जानकारी हमने दे दी और उसके बाद हर बातचीत में चेयर के साथ उलझना। चेयर की दी हुई व्यवस्था को नहीं मानना, सदन को चलने नहीं देना, सदन का कामकाज आगे बढ़ने नहीं देना ये कोई बात हुई। कोई तर्क होता है, उत्तेजना आया करती है लेकिन वह तब आती है जब सरकार विपक्ष की बात न माने आपने तो काम रोको प्रस्ताव जैसे मुद्दे को विपक्ष के नेता पर छोड़ दिया। You said that the Leader of the Opposition may decide. इस तरह की मर्यादाओं का आपने निर्माण किया और उसका प्रतिफल यह हुआ कि ऐसे लिबरल स्पीकर की चेयर

के खिलाफ, ऐसे उदार मन स्पीकर के खिलाफ ऐसपर्शन किए गए। जैसे पहले कागज फेंकने की बात करना फिर चेयर की दी हुई व्यवस्था को न मानना। फिर वाच एण्ड वार्ड स्टाफ पर अपनी खीझ उतारना तथा मारपीट करना क्या यह सब उचित है ? (विघ्न) शोर एवं व्यवधान।

Mr. Speaker : Do not go beyond the Rules. रमेश कुमार जी, मैंने आपके अध्यक्ष से कहा है कि आप राम बिलास जी को बोलने दें फिर उसके बाद आपको टाईम दिया जाएगा।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह अगस्त हाउस है। इसकी महान परम्पराएं हैं। उनको तोड़ने की इजाजत हम में से किसी को नहीं होनी चाहिए। मैं तो इतनी ही बात कहना चाहता हूं।

Mr. Speaker : I will now take up the business fixed for today.

श्री धीर पाल सिंह : स्पीकर सर, आज सुबह से जो अनहोनी ट्रेजरी बैंचिज की तरफ से की गई हमने आपके द्वारा गुजारिश भी की। मैं दुख व्यक्त करता हूं कि हमारे सत्ता पक्ष के साथी ताकत के नशे में मदहोश होकर सारी सीमाएं भूल गए।(शोर एवं व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि एक बात का बार-बार रैपीटीशन हुआ। बार-बार यह कहा गया कि काम रोको प्रस्ताव पर आपने हमारी बात को माना। स्पीकर सर, वह आपका अधिकार था और हम आप को हाउस का मास्टर मानते हैं। इस हाउस में हमारे अधिकारों को आपके अलावा कौन महफूज रख सकता है ? इसलिए हमने काम रोको प्रस्ताव लाकर प्रदेश की जनता जो तबाह हो रही थी, उसे उजागर करने की कोशिश की।

श्री बंसी लाल : स्पीकर सर, यह कोई प्वायंट ऑफ आर्डर नहीं है।

श्री अध्यक्ष : धीर पाल जी, आपको दो मिनट का टाईम दिया जाता है।

श्री धीर पाल सिंह : हाउस को इन्होंने गुमराह करने की कोशिश की है। विरोधी पक्ष के नेता ने आपके आदेश की पालना की और आपकी शान में गुस्ताखी करने की मंशा न हमारी कभी रही है, न रही थी और न ही रहेगी। उसके बाद सत्ता पक्ष की तरफ से प्रस्ताव आया उसमें चेयर को अंकित किया गया। मैं नहीं चाहता था कि ऐसे मामले में चेयर को अंकित किया जाए। निशाना आपको बनाया जाए। अगर आपको निशाना बना दिया, तो हम कहां जाएंगे ? जो गड़बड़ी की चर्चा यहां पर हुई, मैं भी उस बारे में प्रदेश की जनता को आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि यहां पर जो झूमेबाजी हुई है और तीन बार हाउस को एडजर्न करना पड़ा और सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों ने जनता के चुने हुये प्रतिनिधियों को बेइज्जत करने का काम किया, यह बहुत गलत बात है। राम बिलास शर्मा जी तो उस पार्टी के मैम्बर हैं, जो पार्टी केन्द्र में विरोधी पक्ष की है। वे उस गुरू के शिष्य हैं श्री वाजपेयी जी के, जो लोकतंत्र के एक बहुत बड़े नेता हैं। फिर भी वे इस सरकार की वकालत कर रहे हैं, क्या यह जायज है? अध्यक्ष महोदय, जनता के प्रतिनिधियों के साथ मैन-हैंडलिंग हुई है।(विघ्न)

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, माननीय सदस्यगण इस बात के लिए चश्मदीद गवाह हैं कि इस तरह तो किसी भी सदन में नहीं हुआ होगा। चेयर का अपमान किया गया और कर्मचारियों के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। (विघ्न)

श्री धीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, ... विघ्न।

श्री अध्यक्ष : आप एक सैकिंड बैठिए। हर बात को रिपीट मत कीजिए। Now, the debate ends. We will take up the business of the House.

श्री धीर पाल सिंह : मेहम के विधायक के साथ मैन हैंडलिंग हुई है। अध्यक्ष महोदय, आपके होते हुए भी मैन हैंडलिंग हो क्या यह उचित है..... (विघ्न)।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कल आपके विपक्ष के सदस्यों ने ही एक व्यवस्था उठायी थी कि जो बारह बिल हैं, उनमें सात को आज रख लिया जाये और पांच को कल रख लिया जाये। आज कहते हैं कि हमें पता नहीं था। वे हाउस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात का सबको पता था। आप सब की अनुमति से ही और सलाह से ही आज यह सब तय किया गया है। अब आप कुछ भी कहें, आपने जो कुछ कहना था वह सब कह लिया।

दि पंजाब एक्साईज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1996 (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Now, we will take up the business of the House. (Interruptions)

श्री धीर पाल सिंह : यहां पर चर्चा हुई है। सरकार की तरफ से और सत्ता पक्ष के सदस्यों ने चर्चा की है। परन्तु विपक्ष के सदस्यों के साथ मैन हैंडलिंग हो, इससे बड़ा बुरा दिन दुनिया के इतिहास में नहीं आयेगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी भावना व्यक्त करने दीजिए ..... (विघ्न)

CLAUSE 8 to 16

Mr. Speaker : Question is-

That Clauses 8 to 16 stand part of the Bill.

The motion was carried.

श्री धीर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप चाहते हैं, तो मैं बैठ जाता हूं। (विघ्न)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी आप बैठ जाईये। (विघ्न)

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह भी कोई बात हुई ? (विघ्न) इसका मतलब तो यह है कि हम हाऊस में बिना काम के बैठे हैं। अगर आप बोलने की इजाजत नहीं देते और वह भी प्वायंट ऑफ आर्डर पर, तो हम बाहर चले जाते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मिस्टर राणा, आप भी बिना इजाजत के बातें कह रहे हैं (Interruptions) I warn you to mend your ways. बिल पर जब चर्चा हो, तब बोल लेना जितना समय कहोगे, दे देंगे। I won't allow you to disturbe the House.

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, बिल पर डिसकशन तो करवाइये। उस टाईम भी आप बोलने नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष : जब बिल पास करने की बात आयेगी, तब आपको पूरा बोलने का मौका दूंगा। अब आप पेशैन्स रखें।

Clause 1

Mr. Speaker : Question is-

The Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Minister will move that the Bill be passed.

Cooperation & Labour Minister (Shri Ganeshi Lal) : Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved-

That the Bill be passed.

मेरी सभी माननीय सदस्यों से दरख्वास्त है कि अगर कोई बोलना चाहे, तो बोले। (शोर) मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप आराम से हाऊस की कार्यवाही को चलने दें। अब बोलने का मौका दिया गया है, तो बोलें। (शोर) मैं इस सदन को एक खेल का मैदान बनने की इजाजत नहीं दूंगा। मेरी एक बार फिर गुजारिश है कि शांति से सदन की कार्यवाही चलने दीजिए। (शोर एवं व्यवधान) बीरेन्द्र सिंह जी अब आप बोलें।

श्री धीर पाल सिंह : * * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : धीर पाल जी आप बैठें।

(At this stage all the members of the Samta Party started speaking without the permission of the Speaker and raised slogans. The Speakers repeatedly requested the members of this party to resume their seats and even warned Shri Dhir Pal Singh two times to resume his seat. But all the members of the Samta Party continued raising slogans and even threw papers in the air.)

---

* अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

नियम 104 का निलम्बन तथा सदन की सेवा से सदस्यों का निलम्बन

Development and Panchayats Minister (Shri Jagan Nath) : Sir, I beg to move—

That Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the House be suspended in its application to the motion regarding suspension of Sarvshri Dhri Pal Singh, Ramesh Kumar, Balbir Singh, Krishan Lal and Virender Pal Ahlawat, M.L.As.

Mr. Speaker : motion moved—

That Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the House be suspended in its application to the motion regarding suspension of Sarvshri Dhri Pal Singh, Ramesh Kumar, Balbir Singh, Krishan Lal and Virender Pal Ahalwat, M.L.As.

Mr. Speaker : Question is—

That Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the House be suspended in its application to the motion regarding suspension of Sarvshri Dhri Pal Singh, Ramesh Kumar, Balbir Singh, Krishan Lal and Virender Pal Ahalwat, M.L.As.

The motion was carried

(At this stage all the members from the Samta Party continued raising slogans and throwing papers towards the Chair.) (Noise & Interuptions).

Mr. Speaker : Now I would request the Development and Panchayats
13.00 बजे Minister to move the motion regarding the suspension of these members.

Development & Panchayts Minister (Shri Jagan Nath) : Sir, I beg to move—

That Sarvshri Dhir Pal Singh, Ramesh Kumar, Balbir Singh, Krishan Lal and Virender Pal Ahlawat, M.L.As. be suspended from the service of the House for the remainder of the Session for their misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the members of this august House and their grossly disorderly conduct in the House.

Mr. Speaker : Motion moved—

That Sarvshri Dhir Pal Singh, Ramesh Kumar, Balbir Singh, Krishan Lal and Virender Pal Ahlawat, M.L.As. be suspended from the service of the House for the remainder of the Session for their misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the members of this august House and their grossly disorderly conduct in the House.

Mr. Speaker : Question is—

That Sarvshri Dhir Pal Singh, Ramesh Kumar, Balbir Singh, Krishan Lal and Virender Pal Ahlawat, M.L.As. be suspended from the service of the

House for the remainder of the Session for their misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the members of this august House and their grossly disorderly conduct in the House.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now I request Sarvshri Dhir Pal Singh, Ramesh Kumar, Balbir Singh, Krishan Lal and Virender Pal Ahlawat, M.L.As. to leave the House honourably. (Noise & Interruptions)

(The members of the Samata Party continued speaking without permission of the Speaker and they also continued raising slogans.)

श्री अध्यक्ष : बीरेन्द्र सिंह जी आप बोलिये।

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, इतने शोर में मैं कैसे बोलूं ? आप इनको कहें कि ये बैठ जायें। (शोर)

श्री अध्यक्ष : यदि आप लोगों ने यही फैसला किया हुआ है कि कार्यवाही नहीं चलने देनी, तो ठीक बात नहीं है। (शोर) चलो, बलवंत सिंह जी, पहले आप बोल लें। (शोर)

श्री बलवंत सिंह : स्पीकर साहब, बिल पर बाद में बोलेंगे। पहले तो जो अन्याय हमारे साथ हुआ है, उस पर बोलना चाहेंगे। बाद में हाऊस की दूसरी कार्यवाही हो। (शोर)

श्री अध्यक्ष : हाऊस की कार्यवाही तो चलेगी। यदि आप उसमें पार्टीसिपेट करना चाहते हैं, तो आप सादर आमंत्रित हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो it is upto you.

(इस समय कई माननीय सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो कर बोलने लगे)

वाक आउट

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, अगर आप इस बिल पर बोलना चाहें तो स्वागत है लेकिन मैं कोई दूसरी स्पीच अलाऊ नहीं कर सकता। (विघ्न एवं शोर)

श्री भजन लाल : स्पीकर साहब, समता पार्टी के माननीय सदस्यों के निलम्बन के मामले पर आप बोलने के लिए समय नहीं दे रहे। हम स्पीकर साहब के इस फैसले के खिलाफ वाक आऊट करते हैं। (विघ्न एवं शोर)

(इस समय इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के उपस्थित सभी सदस्य सदन से वाक आऊट कर गए)

दि पंजाब एक्साइज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1996 (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried

(At this stage all the members of the Samta Party, Present in the House, continued speaking without permission of the Speaker and raising slogans. There was a great noise in the House and some of the members even came towards the well of the House.)

नियम 104 का निलम्बन तथा सदन की सेवा से सदस्यों का निलम्बन

Development & Panchayats Minister (Shri Jagan Nath) : Sir, I beg to move-

That Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the House be suspended in its application to the motion regarding suspension of Savrshri Banta Ram, Jaswinder Singh, Suraj Mal, Ram Pal Kundu, Ram Pal Majra, Mani Ram, Nafe Singh Rathee, Nafe Singh Jundla, Balwant Singh, Risal Singh, Bhagi Ram, Ashok Kumar and Ramji Lal, M.L.As.

Mr. Speaker : Motion moved—

That Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the House be suspended in its application to the motion regarding suspension of Savrshri Banta Ram, Jaswinder Singh, Suraj Mal, Ram Pal Kundu, Ram Pal Majra, Mani Ram, Nafe Singh Rathee, Nafe Singh Jundla, Balwant Singh, Risal Singh, Bhagi Ram, Ashok Kumar and Ramji Lal, M.L.As.

Mr. Speaker : Question is—

That Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the House be suspended in its application to the motion regarding suspension of Savrshri Banta Ram, Jaswinder Singh, Suraj Mal, Ram Pal Kundu, Ram Pal Majra, Mani Ram, Nafe Singh Rathee, Nafe Singh Jundla, Balwant Singh, Risal Singh, Bhagi Ram, Ashok Kumar and Ramji Lal, M.L.As.

The motion was carried.

(At this stage all the members of the Samta Party remained standing in the House and continued shouting slogans).

Mr. Speaker : I warn you. (Noise & Interruptions).

Now I request the Development and Panchayats Minister to move the motion for the suspension of Sarvshri Banta Ram, Jaswinder Singh, Suraj Mal, Ram Phal Kundu, Ram Pal Majra, mani Ram, Nafe Singh Rathee, Nafe Singh Jundla, Balwant Singh, Risal Singh, Bhagi Ram, Ashok Kumar and Ramji Lal, M.L.As.

Development & Panchayats Minister (Shri Jagan Nath) : Sir, I beg to move—

That Sarvshri Banta Ram, Jaswinder Singh, Suraj Mal, Ram Phal Kundu, Ram Pal Majra, Mani Ram, Nafe Singh Rathee, Nafe Singh Jundla, Balwant Singh, Risal Singh, Bhagi Ram, Ashok Kumar and Ramji Lal, M.L.As be suspended from the service of the House for the remainder of the session for their misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the members of this august House and their grossly disorderly conduct in the House.

Mr. Speaker : Motion moved—

That Sarvshri Banta Ram, Jaswinder Singh, Suraj Mal, Ram Phal Kundu, Ram Pal Majra, Mani Ram, Nafe Singh Rathee, Nafe Singh Jundla, Balwant Singh, Risal Singh, Bhagi Ram, Ashok Kumar and Ramji Lal, M.L.As be suspended from the service of the House for the remainder of the session for their misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the members of this august House and their grossly disorderly conduct in the House.

Mr. Speaker : Question is—

That Sarvshri Banta Ram, Jaswinder Singh, Suraj Mal, Ram Phal Kundu, Ram Pal Majra, Mani Ram, Nafe Singh Rathee, Nafe Singh Jundla, Balwant Singh, Risal Singh, Bhagi Ram, Ashok Kumar and Ramji Lal, M.L.As be suspended from the service of the House for the remainder of the session for their misconduct, most irresponsible behaviour, unbecoming of the members of this august House and their grossly disorderly conduct in the House.

The motion was carried.

(At this stage the suspended members while raising slogans withdrew from the House.)

बिल्ज़ (पुनरारम्भ)

(ii) दि रजिस्ट्रेशन (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1996

Mr. Speaker : Now, the Revenue Minister will introduce the registration (Haryana Amendment) Bill, 1996. He will also move the motion for its consideration.

Revenue Minister (Shri Suraj Pal Singh) : Sir, I beg to introduce the Registration (Haryana Amendment) Bill, 1996.

Sir, I also move—

That the Registration (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Registration (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Registration (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Revenue Minister will move-

That the Bill be passed.

Revenue Minister (Shri Suraj Pal Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

श्री कंवल सिंह (घिराय) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दो तीन बातें यहां पर कहना चाहूंगा। इस वक्त हरियाणा में तीन रुपये और पांच रुपये के जो स्टैम्प पेपर्ज़ यूज़ होते हैं, वहीं उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि कई जगहों पर ट्रैज़री औफिसर एक कागज़ पर स्टैम्प लगाकर उसको 3.50 रुपये में लोगों को बेच रहे हैं। इस कागज का पेपर बहुत ही घटिया होता है जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी होती हैं। चूँकि तीन रुपये और पांच रुपये के स्टैम्प मिलते नहीं हैं, इसलिए लोगों को मजबूरन ऐसा पेपर लेना पड़ता है। इसलिए सरकार को मेरा सुझाव है कि यह स्टैम्प पेपर्ज़ उपलब्ध करवाए जाएं और एक परमानैन्ट विन्डो ट्रेजरी औफिस के अंदर इनके लिए खोल दी जानी चाहिए। यह पेपर बेचने वाले अपनी मर्जी से कोर्टस प्रिमासिज़ में आते जाते हैं। साथ ही यो कमीशन बेसिज़ पर काम करते हैं, जिसके कारण लोगों को परेशानी होती है। भले ही ये काम करते रहें, लेकिन ट्रेज़री औफिस के अंदर ही स्टैम्प पेपर्ज की बिक्री के लिए एक परमानैंट बिन्डो जरूर बना दी जानी चाहिए और इस बात का समाधान सरकार को करना चाहिए। इसके अलावा, स्पीकर सर, दूसरी बात यह है कि आजकल जो रजिस्ट्रियां हो रही हैं, उनकी वजह से हमारे तहसीलदारों पर काफी लोड बढ़ रहा है लेकिन तहसीलदारों के अलावा जो रजिस्ट्रियां करवाई जाती हैं, वह कमीशन बेसिज़ पर कमीशन ऐजंट द्वारा होती हैं। इसलिए अगर इन कमीशन ऐजंटों को ही रजिस्ट्रयां कराने के लिए मुकर्रर कर दिया जाए, तो ऐसा करने से तहसीलदारों पर भी बोझ नहीं पड़ेगा और सरकार का रैवेन्यू भी बढ़ेगा। स्पीकर सर, वैल्यूशन की रजिस्ट्रियों की भी कई तरह की शिकायतें आने लग रही हैं। कहीं-कहीं पर लोग वकीलों से ही तसदीक करा लेते हैं जबकि वकील उनको जानते तक नहीं है, जिससे फिर उनको बाद में दिक्कत होती है। हिसार में भी इस तरह के केस हुए हैं और कई अन्य जगहों पर भी ऐसे केस हुए होंगे। रजिस्ट्री पर दो आदमियों की तसदीक होती है। गांव की जमीन की रजिस्ट्रियां करवाने में कम से कम एक आदमी तो गांव का सरपंच या नंबरदार या मैम्बर पंचायत में से एक जरूरी होना चाहिए। जहां तक शहरों का सवाल है, शहर में म्यूनिसिपल कमेटी के मैंबर हैं या नम्बरदार/सरपंच, दोनों में से जो भी हाजिर हो, वह होना चाहिए ताकि गलत आदमी जो रजिस्ट्री करा जाते हैं उन पर, प्रतिबंध लग सके। इसके अलावा स्टेट में जगह-जगह जितने भी प्रौपर्टी डीलर हैं, वे सबसे ज्यादा हेराफेरी करवाते हैं। आम आदमी रजिस्ट्री करवाने जाए तो तहसीलदार 6-6 चक्कर लगवाता है। कोई भी काम करवाना हो, प्रौपर्टी डीलर के माध्यम से करवा लो, वह तुरन्तु जाकर करवा लाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जैसे स्टेट नर्सिंग होम हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन की गई है। उसी तरह प्रौपर्टी डीलर्ज़ की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। उसकी फीस 500 रुपये, 400 रुपये या 200 रुपये जो सरकार मुनासिब समझे, तय कर दी जाए। मैं समझता हूं कि मंत्री जी मेरे सुझावों पर कौर करेंगे। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं। जय हिन्द।

श्री हरमिन्दर सिंह (फतेहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, जैसा मेरे माननीय साथी श्री कंवल सिंह जी ने कहा है मैं उनसे सहमत हूं। आज हरियाणा भर में यह हालत ज्यूडीशियल कोर्ट्स में है कि स्टाम्प पेपर्ज़ अवेलेबल नहीं हैं। न ही पैटीशन पर पेपर अवेलेबल है और न ही अच्छा कागज मिलता है। फिर कोर्ट औब्जैक्शन करती है इसके अलावा जो जुडीशियल स्टाम्प्स हैं, वे भी अवेलेबल नहीं हैं। हमें दूसरे टिकट लगाने लड़ते हैं। इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि पैटीशन पेपर्स और जुडीसियल पेपर्स उपलब्ध न होने से लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, उन्हें जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाया/भिजवाया जाए। इसके अलावा जो जमीन की रजिस्ट्री होती है, उसके लिए भी डैरासमैंट की जाती है। कई दफा छोटे स्टाम्प पेपर्ज भी उपलब्ध नहीं होते। अगर 5 रुपये का न हो तो 25 रुपये या 50 रूपये का लगाना पड़ता है जिससे जनता का काफी नुक्सान है। आशा है इस बात पर मंत्री जी जरूर ध्यान देंगे।

राजस्व मंत्री (श्री सूरज पाल सिंह) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कुछ कमियों के बारे अभी माननीय सदस्यों ने बताया। जहां तक स्टाम्प पेपर्स और जुडीशियल टिकट्स की बात है, यह नासिक में जो प्रिंटिंग प्रेस है, वहां छपती है। उसके लिए हमने इंतजाम कर दिया है, आदेश जारी कर दिए हैं। स्टाम्प पेपर्ज और जुडीशियल टिकटें आपको जल्द से जल्द मौके पर मिलने लगेंगे। मेरे महानुभाव साथी सदस्यों ने एक बात और बतायी है। उनकी जहां तक इस बात का संबंध है कि नंबरदार या सरपंच की गवाही रजिस्ट्रेशन के समय हो यह पहले से ही रूल्ज में प्रावधान है कि उस गांव का नंबरदार रजिस्ट्री करा दे और अगर किसी वक्त नंबरदार उपलब्ध नहीं है तो सरपंच की गवाही मौके पर ले ली जाती है। पहले से ही ऐसी परिपाटी चली आ रही थी। आइंदा ऐसी कोई गलत परिपाटी नहीं चलने देंगे और पूरा प्रबन्ध करेंगे कि टाईम पर स्टाम्प वगैरह आपको मिल सकें।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the time of the sitting be extended by one hour.

Voices : Yes.

Mr. Speaker : The time of the sitting is extended by one hour.

(iii) दि हरियाणा डिवैल्पमैंट एंड रैगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज (अमैंडमैंट) बिल, 1996

Mr. Speaker : Now, the Town and Country Planning Minister will introduce the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill, 1996. He will also move the motion for its consideration.

वित्त मंत्री (सेठ सिरी किशन दास) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1996 प्रस्तुत करता हूं। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Town and country Planning Minister will move that the Bill be passed.

वित्त मंत्री (सेठ सिरी किशनदास) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पास किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried

(iv) दि पंजाब शिड्यूल्ड रोडज़ एंड कंट्रोल्ड एरिया रिस्ट्रिक्शन ऑफ अनरैगुलेटिड डिवैल्पमैंट (हरियाणा सैकिंड अमैंडमैंट एंड वैलिडेशन) बिल, 1996

Mr. Speaker : Now, the Town and Country Planning Minister will introduce the Punjab Scheduled Roads and Controlled Area Restriction of unregulated Development (Haryana Second Amendment and Validation) Bill, 1996. He will also move the motion for its consideration.

वित्त मंत्री (सेठ सिरी किशन दास) : अध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र, अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा द्वितीय संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 1996 प्रस्तुत करता हूं।मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निबंन्धन (हरियाणा द्वितीय संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Scheduled Roads and Controlled Area Restriction of Unregulated Development (Haryana Second Amendment and Validation) Bill, be taken into consideration at once.

श्री कंवल सिंह (घिराय) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल की चर्चा में भाग लेना चाहता हूं।(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) जब यह कानून बनाया गया था तो इसके पीछे भावना यह थी कि सड़कों को ठीक तरह से बनाया जाये। परन्तु सड़कें बनने के बाद लोग उनके पास में अपने घर बनाने शुरू कर देते हैं। इस बिल के पीछे भावना यह थी कि जो तंग सड़कें हैं, उनको चौड़ा किया जाये क्योंकि देश की आबादी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है और देश में डिवैल्पमैंट भी साथ-साथ हो रही है। जब यह ट्रैफिक बढ़ती है, तो देश की सड़कों को चौड़ा करने की रिक्वायरमैंट भी बढ़ जाती है। मंत्री जी खासतौर से रोहतक के रहने वाले हैं। उनको पता है कि आज से बीस साल पहले रोहतक का बाई पास बना था जोकि बिल्कुल सुनसान जगह में बनाया गया था। आज उस बाई-पास की हालत इतनी कंजस्टिड है कि शहर की आम सड़क से ज्यादा बुरी हालत उस बाई-पास की है। जगह-जगह पर बाई-पासिज, कंजैशन को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए यह जो 100 फुट का प्रावधान है, 200 फुट का प्रोविज़न भी किया जा सकता है ताकि कंजैशन न हो। इसके लिए एक बात और भी है कि कंजैशन को रोकने के लिए कमी भी जब सड़क चौड़ी की जाती है तो इसके लिए लैंड अवेलेबल होनी चाहिए तथा खुली जगह होनी चाहिए। क्योंकि शहरों में ज्यादा कंजैशन होती है इसलिए म्युनिसिपल एरियाज़ में यह एक्ट लागू होना चाहिए। मेरा सुझाव है कि यह एक्ट ज्यादातर कमेटी के एरियाज़ में एप्लाई करें। आज हमारे हिसार शहर में बाई-पास बना हुआ है। उसको चौड़ा किया जा सकता है। जगह भी अवेलेबल है। लेकिन विडम्बना यह है कि यह एक्ट म्युनिसिपल एरियाज़ में लागू नहीं है। अतः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि किसी भी शहर में इस एक्ट की धारा कमेटी एरियाज़ में लागू होनी चाहिए ताकि सड़कों के साथ-साथ कंजैशन न हो।

वित्त मंत्री (सेठ सिरी किशन दास) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इन सड़कों को इसलिए चौड़ा किया जा रहा है ताकि जो सरकारी भवन हैं, धर्मशालाएं हैं तथा अन्य जो लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए स्थान हैं, उनके बैनिफिट के लिए ऐसा किया गया है।

श्री कंवल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा क्लॉज़ से मतलब नहीं है। जो अमैंडमैंट आप पास करने जा रहे हैं, इससे मुझे कोई एतराज नहीं है। इस संशोधन से संबंधित मेरा सुझाव तो सिर्फ यह है कि इस प्रावधान को म्युनिसिपल एरियाज़ के अंदर भी लागू किया जाए क्योंकि इन एरियाज़ में कंजैशन ज्यादा होती है। इसलिए म्युनिसिपल एरियाज़ में इस एक्ट को लागू करने की आवश्यकता है। यही मेरा आपसे निवेदन है।

सेठ सिरी किशन दास : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अगर लिखकर दे देंगे, तो उस पर विचार अवश्य किया जाएगा।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Punjab Scheduled Roads and Controlled Area Restriction of Unregulated Development (Haryana Second Amendment and Validation) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 5

Mr. Deputy Speaker : Question is-

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 6

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Enacting formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now the Minister for Town and Country Planning to move that the Bill be passed.

वित्त मंत्री (सेठ सिरी किशन दास) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं-

कि विधेयक पास किया जाए।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(v) दि हरियाणा जनरल सेल्ज़ टैक्स (सैकिंड अमैंडमैंट) बिल, 1996

Mr. Deputy Speaker : Now the Commercial Taxation Minister to introduce the Haryana general Sales Tax (Second Amendment) bill, 1996. He will also move the motion for its consideration.

वित्त मंत्री (सेठ सिरी किशन दास) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा साधारण विक्रय कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक 1996 प्रस्तुत करता हूं—

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं—

कि हरियाणा साधारण विक्रय कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : question is—

That the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now the House will consider the bill clause by clause

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried

Clause 3

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now the Commercial Taxation Minister will move that the Bill be passed.

वित्त मंत्री (सेठ सिरी किशन दास) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं -

कि बिल पास किया जाये।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker : Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

सरकारी संकल्प

(i) सहकारी समितियों को पैट्रोल पम्प तथा गैस एजैंसियों के वितरण संबंधी

Mr. Deputy Speaker : Hon'ble Members, now the Labour Minister will move the official resolution.

Cooperation & Labour Minister (Shri Ganeshi Lal) : Sir, I move that—

This House recommends to the State Government that appropriate steps be taken to approach the Central government for providing the suitable measures with regard to the distribution of Petrol Pumps and the Gas agencies to the Co-operative Societies composed of needy and unemployed youths of Haryana in order to provide gainful employment to them in the State of Haryana.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह रैज्योल्यूशन लाने का हमारा एक उद्देश्य है। हरियाणा के अन्दर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा विकास पार्टी की सांझी सरकार है। दोनों सरकारों के मैनीफैस्टो के अन्दर यह बात कही गई थी और आज के जो हमारे हरियाणा के सम्मानित मुख्य मंत्री महोदय हैं, उन्होंने यह कहा था कि हम हरियाणा के अन्दर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अनेक प्रकार के एवैन्यू तलाश करेंगे। उसी के अंतर्गत यह प्रतिबद्धता हरियाणा के सभी बंधुओं के प्रति पैट्रोल पम्प और गैस की एजैंसी दिलाने के लिए दोहरायी गयी है। बेरोज़गार और जरूरतमंद नौजवानों की कोआप्रेटीव सोसायटी बनाकर सरकार को एप्रोच करेंगे और रिकमैंड करेंगे कि सैन्टर हरियाणा के हितों को ध्यान में रखते हुए पैट्रोल पम्प और गैस की एजैंसीज इन अन एम्पलायड यूथ्स को दें। जहां हरियाणा सरकार ने अनेक प्रकार की योजनाएं रोजगार देने के लिए चालू की हैं, जैसा कि मारूतीज हैं, बैनज हैं, जीपस हैं या जो 12 सवारियों से कम के व्हीकल्ज़ हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने के माध्यम से कन्सट्रक्शन सोसायटीज़ बनाकर रोजगार दिए जाएं और मैं समझता हूं कि ऐसी 2230 कन्सट्रक्शन सोसायटीज़ वर्तमान में हैं जिनमें 5 से लेकर 10 लोग होते हैं और उसमें भी स्किल्ड और अनस्किल्ड के हिसाब से किसी भी प्रकार के लोन दिए जा सकते हैं। इसके साथ-साथ हमारे एम्पलायमेंट सैक्टर के अंतर्गत अनेक प्रकार की योजनाओं को लागू करके जैसा कि हर एम्पलाएमैंट एक्सचेंज में प्राईवेट सैक्टर में ब्यूरो खोलकर सेल्फ एम्पलाएमैंट स्कीम को एनक्रेज करके उसको प्रोत्साहन करके उसके साथ जो एक ऐसी स्कीम जो कि शायद हिन्दुस्तान में पहली बार इन्ट्रोडयूस की गई थी और वह अन-एम्पलायमैंट स्कीम फार दी स्किल्ड और अनस्किल्ड यूथ है, के अन्तर्गत भी और उसके साथ एच०सी०डी०ए० की मार्फत जो स्कीमें चलती हैं उसमें भी हरियाणा ने अनेक प्रकार के ऐवैन्यू तलाश किए हैं। इस प्रकार के अनेक प्रकार के एवैन्यू तलाश करते हुए हरियाणा के अन्दर जो एक कमिटमैंट थी कि रोजगार के साधन अन एम्पलायमैंड यूथ को मैकसिमम उपलब्ध कराने की जिससे कोई भी परिवार और कोई भी हाथ बगैर काम के न रहे, इस प्रकार की योजना को लागू करने के लिए इस औफिशियल रैज्योल्यूशन को मूव करने की अनुमति चाहता हूं।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved that—

This House recommends to the State Government that appropriate steps be taken to approach the Central government for providing the suitable measures with regard to the distribution of Petrol Pumps and the Gas

agencies to the Co-operative Societies composed of needy and unemployed youths of Haryana in order to provide gainful employment to them in the State of Haryana.

सरदार हरमिन्दर सिंह (फतेदाबाद) : स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो रजिस्ट्रेशन एक्ट हैं, उसके तहत जो रजिस्ट्रेशन सोसायटीज़ की की जाती है, उस प्रोसीजर को सिम्पलीफाई करें क्योंकि लोगों को ए०आर० के पास दिनों दिन घूमना पड़ता है। इसी प्रकार से लोगों को अन एम्पलायड लिखवाने के लिए बहुत परेशान होना पड़ता है। पिछली सरकारों के वक्त तो यहां तक रहा है कि अनएम्पलॉयड लिखवाने के लिए काफी पैसा उनको देना पड़ता था। ए०आर० से जब चिट्ठी निकलवानी होती है तो वे उन्हें बहुत हैरास करते हैं इसलिए मेरा निवेदन है क इस प्रोसीज़र को भी सिम्पलीफाई किया जाए। धन्यवाद।

सहकारिता तथा श्रम मंत्री (श्री गणेशी लाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगा कि हर एम्पलॉयमैंट एक्सचेंज को प्राईवेट सैक्टर से बाहर किया हुआ है, उसमें रजिस्ट्रेशन की रिलैक्सेशन इतना ज्यादा दी गयी है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक नेशनल सर्वे स्कीमज़ है, वे सैम्पल सर्वे करते हैं। उसके हिसाब से हरियाणा में इस समय सिर्फ 1 लाख 61 हजार गांवों में और 91 हजार शहरों में टोटल मिला कर 2 लाख 52 हजार अनएम्पलायड हैं। जो नैशनल सैम्पल सर्वे करते हैं, उसके मुताबिक प्राईवेट सैक्टर के अदायरों में अनएम्पलायड लोगों को रोज़गार दिलवाने में जिस प्रकार की फैसिलिटीज़ प्रदान करते हैं, उसमें किसी प्रकार की अड़चन पेश नहीं आती है। Our registers are also open. यहां पर भी ऐसा किया जाएगा, एक यह भी प्रावधान है अगर कोई प्राईवेट सैक्टर का व्यक्ति किसी भी प्रकार के कर्मचारी चाहता है, तो हमारी किताबें ओपन होती हैं और हमारे रजिस्ट्र ओपन होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि 4,732 लोगों को प्राइवेट सैक्टर के अदायरों के अन्दर रोज़गार भी उपलब्ध करवाया गया है। जहां तक बताया गया है कि लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है और पैसे देने पड़ते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सारे देश में 850 के करीब एम्पलॉयमैंट एक्सचेंजिज़ हैं, जिनमें से करीब 100 हरियाणा में हैं। हो सकता है कहीं कोई इक्का-दुक्का इस प्रकार का इंसिडैंट हुआ हो। अगर कोई स्पैसिफिक कम्पलेंट हो तो इस बारे में ये बताएं, उस पर फौरन एक्शन लिया जाएगा। यदि कोई नाम ये बताएंगे तो उस पर तुरन्त कार्यवाही करते हुए प्रौपर एक्शन लिया जाएगा।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

This House recommends to the State Government that appropriate steps be taken to approach the Central government for providing the suitable measures with regard to the distribution of Petrol Pumps and the Gas agencies to the Co-operative Societies composed of needy and unemployed youths of Haryana in order to provide gainful employment to them in the State of Haryana.

The motion was carried.

(ii) पूर्ण नशाबन्दी को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार से विशेष अनुदान सहायता संबंधी।

Mr. Deputy Speaker : Hon'ble Members, now the Prohibition & Excise Minister will move another official resolution.

Cooperation & Labour Minister (Shri Ganeshi Lal) : Sir, I beg to move that—

> This House recommends to the State Government to approach the Central Government for seeking Special Grant-in-aid to the State of Haryana for bringing about total prohibition in the State which is infurthereance of the directive principles of the State Policy as enshrined in the Constitution.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों का बताना चाहता हूं कि प्रोहिबिशन की पॉलिसी वास्तव में एक अच्छी नीति है। This policy is the death of poverty and the birth of prosperity. मद्यनिषेध की पॉलिसी आज से नहीं बल्कि 1940 के अन्दर भी, मद्रास और बम्बई स्टेट्स जब थीं, उनमें प्रोहिबिशन की पॉलिसी लागू की गई थी और उस वक्त की फैडरल कोर्ट में इस बात को चैलेंज किया गया था कि प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए। मैं सदन में बताना चाहूंगा कि उस वक्त कोर्ट ने आर्डर दिया था—

Government can ban it.

यह 1940 में भी फैडरल कोर्ट का निर्णय था कि मद्यनिषेध होना चाहिए और शराब बन्द होनी चाहिए। स्वतन्त्रता के पश्चात् देश के महान नेताओं ने भी प्रोहिबिशन की बात कही थी और शराबबन्दी पर ज़ोर दिया था। हमारे महान गुरूओं ने, वेदों और शास्त्रों ने समय-समय पर शराबबन्दी पर बल दिया है। आचार्य चर्क ने भी शराब को सेहत के लिए हानिकारक बताया है। सभी ने कहा है कि प्रोहिबिशन होना चाहिए। Directive principles contained in Article 38 & 39 are binding upon the Government also and it is the duty of the government that there should be complete prohibition. It becomes the primary duty of the Government to endeavour in such a fashion that there should be complete prohibition. सरकार को चाहिए कि जो बलूमिंग एज है, टैण्डर एज है उसको ध्यान में रखे। सरकार को चाहिए कि वह देश के नवयुवकों के चरित्र को ध्यान में रखे। देश की अर्थव्यवस्था को, सोशल हारमोनी को ध्यान में रखे। ये सारी की सारी बातें 38 और 39 के जो डायरैक्टिव प्रिंसीपल्ज हैं उसके बीच में आती हैं। 38 और 39 के डायरैक्टिव प्रिंसीपल के आधार पर आर्टिकल 47 है कांस्टीच्यूशन का, under that it is mandatory and binding upon the government that there should be complete prohibition. जहां तक इसके मैडिकल के प्वायंट ऑफ व्यू का सम्बन्ध है, मैं यह कह सकता हूं और डाक्टर्ज की लेटैस्ट रिपोर्ट भी है, यहां तक कि स्वीडन के डाक्टर ने लेटैस्ट रिपोर्ट निकाली है कि चोट लगने के उपर जो शराब पीता है उसका खून बहना बन्द नहीं होता है। शराबियों के 20 प्रतिशत बच्चे मैंटली रिटार्टिड होते हैं। वर्ल्ड हैल्थ आरगेनाइजेशन ने तो यहां तक कहा है कि एक शराब की बोतल में पीस ऑफ फलैश डाल दें तो वह भी रेशों के अन्दर ढल जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसकी सोशल, मोरल और इक्नौमिकल जो आवश्यकता है, उसके हिसाब से कम्पलीट प्रोहिबिशन होना चाहिए। इसका रिलीजिन से या किसी और से कोई सम्बन्ध नहीं है। मद्य-निषेध का कोई कर्मकाण्ड से, उपासना पद्धति से किसी धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है। मद्य-निषेध का विषय वास्तव में भारत की और हरियाणा की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। भारत के चरित्र और हरियाणा के चरित्र के साथ जुड़ा हुआ है। यहां पर कल परसों एक बात विशेष रूप से आ रही थी। जब हरियाणा के अन्दर के ला एंड आर्डर की बात चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि पूरे का पूरा कानून का विषय जैसे मद्य के साथ जुड़ा हुआ है। विपक्ष के नेता और विपक्ष के माननीय साथी ला एंड आर्डर की बातचीत करते समय केवल मद्य की बात कर रहे थे। आज इस मद्य के कारण इन्जरीज़ हैं, कलैशिज़ हैं, एक्सीडैंटस हैं, यहां तक कि प्रोस्टीच्यूशन वर्क भी इसमें निहित है।

उपाध्यक्ष महोदय अगर दुर्घटनाओं में एवरेज लगाई जाए तो 20 प्रतिशत से भी ज्यादा की वृष्टि हुई है। इसलिए यह मद्य-निषेध होना चाहिए। मैं सैन्टर्ल गवर्नमैंट से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यह जो 600 करोड़ के करीब का घाटा हरियाणा सरकार को हुआ है, उस घाटे को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार को कोई ग्रांट दे या कोई अनुदान दे। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप इस प्रस्ताव को पास करें।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved that—

This House recommends to the State Government to approach the Central government for seeking special Grant-in-Aid to the State of Haryana for bringing about total prohibition in the State which is in furtherance of the directive principles of the State policy as enshrined in the Constitution.

श्री जगबीर सिंह मलिक (गोहाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि सरकार को जो रैवेन्यू का लौस हुआ है यह प्रस्ताव सिर्फ उसी लौस को पूरा करने के लिए है या सरकार शराब बन्दी को लागू करने के लिए खर्च कर रही है, उसके बारे में भी है। अगर नहीं है तो क्या ये इस रैज्योल्यूशन में इसका भी प्वायंट जोड़ेंगे ताकि शराब बन्दी को और इफैक्टिवली चैक किया जा सके।

सहकारिता तथा श्रम मंत्री (श्री गणेशी लाल) : उपाध्यक्ष महोदय, हमने केवल मात्र सैन्टर गवर्नमैंट को प्रार्थना की है कि हमें जो नुक्सान हो रहा है, उसकी भरपाई के लिए ग्रांट दें। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे से पहले की जो हरियाणा सरकार थी हरियाणा को बैंक क्रप्ट करके गई। दुनिया भर का कर्ज छोड़ कर गई थी। उस चैलेंजिंग जाब को हमने लिया है। उस घाटे की परवाह न करके भी हमने लोगों की सेहत का ख्याल रखा। लोगों की न्यूट्रिशन का ख्याल रखा। उनके चरित्र का ख्याल रख कर के शराब बन्दी लागू करी। इस नाते सैन्टर गवर्नमैंट हमें कुछ ग्रांट दे, अनुदान दे। इस रैज्योलूशन के बीज में कोई क्लाज जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

This House recommends to the State Government to approach the Central government for seeking special Grant-in-Aid to the State of Haryana for bringing about total prohibition in the State which is in furtherance of the directive principles of the State policy as enshrined in the Constitution.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now the House is adjourned till 9.30 a.m. tommorrow.

*13.55 hrs., (The Sabha then * adjourned till 9.30 a.m. on Friday, the 22nd November, 1996.

28912—H.V.S.—H.G.P., Chd.

Haryana Vidhan Sabha Secretariat ★ Chandigarh
LIBRARY